

नवोदय

१६ मी वरिगवु नो वो इडवि



Navodaya

तिमाही गृह पत्रिका | अंक-21 | जनवरी-मार्च 2026

Quarterly House Journal | Addition -21 | January-March 2026



“पीएसबी हैकथॉन श्रृंखला 2026 - सुरक्षा मंथन”



अंतर्निहित धोखाधड़ी सुरक्षा के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण धन वृद्धि को विकसित करने हेतु एमिटी विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बैंक द्वारा एमिटी विश्वविद्यालय के सहयोग से “पीएसबी हैकथॉन श्रृंखला 2026 - सुरक्षा मंथन” का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्री राजीवा (कार्यपालक निदेशक), प्रो. (डॉ.) बलविंदर शुक्ला (वाइस चांसलर, एमिटी विश्वविद्यालय), श्री मनोज कुमार (महाप्रबंधक) एवं श्री संतोष कुमार नीरज (महाप्रबंधक), ब्रिगेडियर आर के शर्मा (निदेशक, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट) एवं डॉ. सुजाता पांडेय (निदेशक, एमिटी इनोवेशन एंड डिजाइन सेंटर) द्वारा किया गया। इस हैकथॉन में एमिटी विश्वविद्यालय के 400 से अधिक युवा इंजीनियर हिस्सा ले रहे हैं जिन्हें चार माह में अपने एप्लीकेशन को विकसित करना होगा।

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

प्रधान कार्यालय, बैंक हाउस, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008
Head Office, Bank House, 21, Rajendra Place, New Delhi - 110008
ई-मेल/E-mail : editor.navodaya@psb.bank.in
वेबसाइट/website : www.punjabandsind.bank.in

मुख्य संरक्षक/Chief Custodian

श्री स्वरूप कुमार साहा

Shri Swarup Kumar Saha

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी / MD & CEO

संरक्षक / Custodian

श्री रवि मेहरा

Shri Ravi Mehra

कार्यपालक निदेशक / Executive Director

श्री राजीवा

Shri Rajeeva

कार्यपालक निदेशक / Executive Director

मुख्य संपादक / Chief Editor

श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर

Shri Gajraj Devi Singh Thakur

महाप्रबंधक / General Manager

संपादक मंडल / Editorial Board

श्री राजेश चंदन पांडे

Shri Rajesh Chandan Pandey

मुख्य महाप्रबंधक / Chief General Manager

श्री निखिल शर्मा

Shri Nikhil Sharma

मुख्य प्रबंधक / Chief Manager

श्रीमती भारती

Smt. Bharati

प्रबंधक / Manager

पंजाब एण्ड सिंध बैंक गृह पत्रिका में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार, संबंधित लेखक के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

मुद्रक : जैना ऑफसेट प्रिंटरर्स

ए 33/2, साइट-4, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया,

गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश

फोन नं. : 98112 69844

ई-मेल: jainaoffsetprinters@gmail.com

विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	संपादक मंडल/विषय-सूची	1
2	शुभकामनाएं एवं सुझाव	2
3	संपादकीय	3
4	भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महिलाओं का योगदान	4 - 7
5	Self Help Group Intraction Programe	8
6	मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही हेतु बैंक के वित्तीय परिणाम	9
7	दिनांक 31.03.2026 तक बैंक के आंचलिक कार्यालयों का कार्य-प्रदर्शन	10 - 11
8	भारतीय बैंकिंग जगत में महिलाएं	12 - 14
9	आंचलिक कार्यालय पटना का शुभारंभ	15
10	एमएसएमई शिखर(मेगा एमएसएमई क्रेडिट अभियान)	16 - 17
11	आपकी पूंजी आपका अधिकार: वित्तीय सशक्तिकरण की नई क्रांति	18 - 20
12	बलांगीर(उड़ीसा) शाखा का शुभारंभ	21
13	PSB-Care Nest	21
14	अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस	22 - 23
15	हौसलों को उड़ान देती: सुपरवुमन	24 - 26
16	समीक्ष बैठक(आंचलिक कार्यालय, पटना)	27
17	Important Circular from 01.01.2026 to 31.03.2026	28 - 29
18	Mega Town Hall Meeting	30 - 31
19	The Psychological Inner World of Your Children	32 - 35
20	समीक्ष बैठक(आंचलिक कार्यालय, बरेली)	36
21	एमएसएमई शिखर, देहरादून	36
22	केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम	37 - 39
23	PSB AO Khele	40
24	Beyond Transaction: The Modern Banker	41 - 43
25	गणतंत्र दिवस का आयोजन	44

शुभकामनाएं एवं सुझाव / Letter to the Editor

Thank you for regularly sending the Bank's house journal, "Navodaya" of which I was a proud part a decade ago. This publications have been a valuable source of information and updates keeping me well-informed about our Bank's activities and I commend you on the remarkable journey. It has undertaken since then, masterfully covering vital topics that raise customer awareness in today's dynamic banking scenario—such as insightful articles on digital safety and "साइबर आतंकवाद." Wishing the entire team continued success and inspiration in your endeavors.

Warm regards,



Dhruv Dev Nag

PSB Ex Staff



It is a pleasure to have in hand the Oct-Dec, 2026 quarterly issue of PSB House Journal-Navodaya. The very preface of the magazine is really appealing. Apart the update on bank's performance in different zones, articles on banking and other diverse subjects appearing in the magazine are, indeed, of good quality. The layout and sequencing of the contents is equally remarkable. The editorial board deserves rich accolades for keeping high standards of publication.

My sincere compliments for the hard work!



Nirmaljit Singh Chatrath

Ex DGM (Priority Sector & SME Deptt.)

हमें बैंक की गृह पत्रिका नवोदय का दिसंबर, 2025 अंक प्राप्त करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है। गृह पत्रिका में अंतर्निहित सामग्री पाठकों का ज्ञानवर्धन कर रही है। पत्रिका में प्रकाशित लेख विशेषकर – Devising a Booster Dose for boosting India's Solar Rooftop Photovoltaic Systems Installations, Digital Safety is not a Luxury – It is an Essential as Locking Your Door : An Reality, Veer Bal Diwas: When Courage Wore the Face of Children आदि हमारे ज्ञान का विस्तार करने के साथ-साथ हमें प्रभावित भी कर रहे है। इसके अतिरिक्त पत्रिका में प्रकाशित कविताएं अत्यंत रमणीय है। पत्रिका का कलेवर बेहद आकर्षक एवं पत्रिका में प्रकाशित छायाचित्र बैंक की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हैं। पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए संपादक मंडल को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि नवोदय पत्रिका का आगामी अंक और भी अधिक ज्ञानवर्धक एवं आकर्षक होगा।



कंवर लाल

आंचलिक प्रबंधक

आंचलिक कार्यालय, पंचकुला



संपादकीय

प्रिय साथियो,


सर्वप्रथम बैंक में पदोन्नत समस्त कार्मिकों को पदोन्नति की बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं !

**"आंधियारों को चीरकर, वह सूरज बनकर उभरी है,
सपनों के पंख लगाकर, वह ऊँची उड़ान पर निकली है।
नारी के भीतर सोया, अब वह स्वाभिमान जागा है,
सशक्त कदम बढ़ाती, अब वह भविष्य निर्माता है।"**

विश्व की प्रत्येक महिला की कहानी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। वह जहां एक ओर परंपराओं की संवाहक हैं तो, दूसरी ओर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भविष्य की निर्माता भी हैं। हमारे बैंक में 08 मार्च, 2026 को आमंत्रित डॉ. दीपा मलिक न केवल एक अंतरराष्ट्रीय शख्सियत हैं बल्कि उनके जीवन की कहानी, संघर्ष और स्वयं को स्थापित करने की जंग प्रत्येक व्यक्ति को गिरकर उठना सिखाती है।

आज के बदलते आर्थिक परिदृश्य में बैंकिंग क्षेत्र अब केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं रह गया है। विगत कुछ दशकों में भारतीय बैंकिंग जगत में कई अहम सुधार हुए हैं। इस क्षेत्र में महिलाओं की न केवल सक्रिय भागीदारी बढ़ी है, बल्कि वे इस क्षेत्र के भविष्य को भी निर्धारित कर रही हैं। बैंकिंग जगत की तस्वीरें अब बदल चुकी हैं। महिलाएं घर के चूल्हे से बोर्डरूम तक पहुंच गई हैं। यह बदलाव महज एक सांख्यिकीय वृद्धि नहीं, बल्कि बैंकिंग संस्कृति में एक बड़े क्रांतिकारी बदलाव का संकेत है। एक समय था जब बैंक की शाखाओं में महिलाएं केवल लिपिकीय कार्यों तक सीमित थीं। लेकिन आज, देश के सार्वजनिक और निजी बैंकों की कमान महिलाएं संभाल रही हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि जटिल वित्तीय गणनाओं और जोखिम प्रबंधन में महिलाओं का कौशल अद्वितीय है। उनमें निर्णय लेने की अभूतपूर्व क्षमता है। वित्तीय समावेशन की धुरी: भारतीय ग्राम, में 'बैंक सखी' के रूप में महिलाओं ने वित्तीय समावेशन को सफल बनाया है। वे न केवल महिलाओं को बचत के लिए प्रेरित कर रही हैं, बल्कि बैंकिंग तकनीक को घर-घर तक पहुंचा रही।

गृह पत्रिका नवोदय भी महिलाओं के प्रयासों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए, महिला केंद्रित सामग्री को सम्मिलित कर उनकी आवाज़ को प्रतिध्वनित करती है। गृह पत्रिका नवोदय हमारे विचारों और अनुभवों को दूसरों तक जोड़ने का एक साझा प्रयास है। पत्रिका के इस अंक में नवाचार संबंधी लेखों एवं बैंक की पहलों को महत्वपूर्ण रूप से सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त पत्रिका में अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं रोचक लेख एवं समसामयिक विषय आधारित सृजनात्मक रचना को भी समाहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त गृह पत्रिका नवोदय के इस अंक में मुख्य रूप से बैंक में आयोजित विभिन्न गतिविधियों, बैंक के विभिन्न उत्पादों, नीतियों, महत्वपूर्ण परिपत्रों सहित भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान, केवाईसी: सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम, आपकी पूंजी, आपका अधिकार: वित्तीय सशक्तिकरण की एक नई क्रांति, The Changing Role of a Banker in the Digital Era: From Transaction Manager to Financial Guardian आदि लेख भी समाहित किए गए हैं, जो हमारी जानकारी को पोषित करते हैं। इसलिए आप सभी अपने विचारों को पत्रिका के माध्यम से साझा करते रहें।


(गजराज देवी सिंह ठाकुर)

महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महिलाओं का योगदान



नारायण निरंजन

"दुनिया की सारी दीवारें छोटी पड़ जाती हैं,
जब एक औरत अपने पंख फैलाने का फैसला कर लेती है।
वह अब किसी की परछाई नहीं, खुद का सूरज है,
उसकी आँखों में अब डर नहीं, जीत का मंजर है।"

भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और तीव्र गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति केवल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से आंकी जाती है कि उस राष्ट्र का विकास कितना समावेशी और संतुलित है। भारतीय जनसंख्या का लगभग आधा भाग महिलाएं हैं; अतः उनके सक्रिय सहयोग के बिना आर्थिक विकास अधूरा है। लंबे समय तक महिलाओं के योगदान को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं मिली, क्योंकि उनका अधिकांश कार्य घरेलू या असंगठित क्षेत्र में रहा। फिर भी सत्य यह है कि परिवार की आर्थिक स्थिरता, मानव संसाधन के निर्माण और सामाजिक पूँजी के विकास में महिलाओं की भूमिका आधारशिला के समान रही है। अब महिलाएं केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की भागीदार बन चुकी हैं। "नारी शक्ति" अब केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय अभियान बन गया है, जो महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, आवास, स्वच्छता और वित्तीय सहायता के जरिए गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। चूंकि भारत की लगभग 67.7% जनसंख्या महिलाएं और बच्चे हैं, इसलिए उनका सशक्तिकरण अब सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि विकास की रणनीति बन गया है।

आज का भारत बदल रहा है। शिक्षा, तकनीक, वित्तीय समावेशन और सरकारी नीतियों के प्रभाव से महिलाएं केवल सहयोगी नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रही हैं। वे उत्पादन, प्रबंधन, नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही हैं। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान का अध्ययन केवल



सामाजिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आर्थिक नीतियों और सतत विकास के संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्राचीन काल से महिलाओं की आर्थिक भूमिका

प्राचीन भारत में भी महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के प्रमाण मिलते हैं। वे कृषि कार्य, हस्तशिल्प, बुनाई, कढ़ाई और घरेलू उद्योगों में सक्रिय थीं। यद्यपि उस समय उनका योगदान औपचारिक रूप से दर्ज नहीं होता था, फिर भी परिवार और समाज की आर्थिक स्थिरता में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा और व्यवसाय की स्वतंत्रता भी प्राप्त थी, जिससे वे आर्थिक निर्णयों में भाग ले सकती थीं। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में महिलाओं की आर्थिक सक्रियता के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं।

मौर्य प्रशासन में महिलाएं अंगरक्षक और गुप्तचर के रूप में सवेतन कार्य करती थीं, जो उनके पेशेवर आर्थिक योगदान को दर्शाता है। धान की रोपाई जैसे कार्यों में महिला श्रम अनिवार्य माना जाता था। प्राचीन भारत में 'स्त्रीधन' की अवधारणा महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रमाण है। बाद के काल (विशेषकर मिताक्षरा और दयाभाग

संहिताओं) में संपत्ति के अधिकारों में जटिलता आई, लेकिन गुप्त काल के शिलालेखों में महिलाओं द्वारा भूमि दान करने के उल्लेख मिलते हैं, जो उनके पास स्वतंत्र धन होने की पुष्टि करते हैं।

कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान

भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। खेतों में बीज बोने से लेकर फसल कटाई, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण तक महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं। वे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जैविक खेती, बागवानी और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़कर अपनी आय बढ़ा रही हैं। यदि महिलाओं को कृषि संसाधनों, भूमि स्वामित्व और आधुनिक तकनीक तक समान पहुँच मिले, तो कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और भी तेज़ वृद्धि हो सकती है। डेयरी सहकारी समितियों (जैसे अमूल मॉडल) में महिलाओं की भागीदारी ने उन्हें ग्रामीण स्तर पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। प्राचीन काल से ही महिलाएं 'बीज रक्षक' रही हैं। वे न केवल बीजों का चयन और संरक्षण करती हैं, बल्कि उन्हें जैव-विविधता और स्थानीय जलवायु के अनुकूल बनाए रखने का पारंपरिक ज्ञान भी रखती हैं। **संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है।**

उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र में भागीदारी

उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लाखों महिलाएं लघु उद्योगों (जैसे खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, और टेक्सटाइल) का संचालन कर रही हैं। वस्त्र उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में महिलाएं बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों और औद्योगिक इकाइयों में महिला श्रमिकों की भूमिका उत्पादन बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है। मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं के तहत मिलने वाले ऋणों का एक बड़ा हिस्सा महिला उद्यमियों को मिला है, जिससे वे विनिर्माण की छोटी इकाइयों स्थापित करने में सक्षम हुई हैं। 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों के अंतर्गत महिला कार्यबल को बढ़ावा देकर देश की औद्योगिक क्षमता को मजबूत किया जा रहा है। फाल्गुनी नायर (नायका) जैसी सफल महिला उद्यमियों ने अपनी विनिर्माण और सप्लाय

चेन इकाइयों के माध्यम से हजारों महिलाओं को रोजगार दिया है। आज महिलाएं औद्योगिक बोर्डों में नीति-निर्माण का हिस्सा हैं।

सेवा क्षेत्र में महिलाओं की अग्रणी भूमिका

सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, पर्यटन और खुदरा व्यापार में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है। महिलाएं शिक्षक और डॉक्टर के रूप में मानव संसाधन के विकास में योगदान देती हैं, वहीं आईटी और स्टार्टअप क्षेत्र में वे नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दे रही हैं। सेवा क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति से रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और देश की जीडीपी में निरंतर वृद्धि हो रही है। सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कई कारणों से प्रभावशाली रही है। महिलाएं अपनी सहानुभूतिपूर्ण, संगठन कौशल और सामुदायिक जुड़ाव की क्षमता के साथ सामाजिक समस्याओं के समाधान में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। वे अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में केंद्रित रहती हैं। महिलाओं ने महिला स्वयं सहायता समूह, प्रशिक्षण प्रोग्राम और कानूनी जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है।

महिला उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति

हाल के वर्षों में महिला उद्यमिता ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दी है। महिलाएं छोटे और मध्यम उद्यम स्थापित कर स्वरोजगार के साथ-साथ अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह, माइक्रोफाइनेंस और सरकारी योजनाओं ने महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स के माध्यम से महिलाएं अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचा रही हैं। इससे न केवल उनकी आय बढ़ रही है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी सशक्त हो रही है।

शिक्षा और कौशल विकास का प्रभाव

महिलाओं की शिक्षा और कौशल विकास का सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। शिक्षित और कुशल महिलाएं उच्च उत्पादकता के साथ कार्य करती हैं, जिससे आय और बचत दोनों बढ़ती हैं। शिक्षा से महिलाओं में आत्मनिर्भरता आती है और वे आर्थिक निर्णयों में भागीदारी कर पाती हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम महिलाओं को नए कौशल सिखाकर उन्हें रोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार कर रहे हैं।

सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ

भारत सरकार ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कई योजनाएँ और नीतियाँ लागू की हैं। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'मुद्रा योजना', 'स्टैंड-अप इंडिया', 'महिला ई-हाट' और 'जन धन योजना' जैसी पहलें महिलाओं को वित्तीय समावेशन, शिक्षा और उद्यमिता के अवसर प्रदान करती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाएं बैंकिंग सेवाओं, ऋण और डिजिटल भुगतान से जुड़ रही हैं, जिससे औपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है।

- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:** यह योजना महिलाओं को बिना गारंटी के ऋण प्रदान करती है, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। ऋण की राशि ₹10 लाख तक हो सकती है और यह छोटे व्यवसाय जैसे हस्तशिल्प, ब्यूटी पार्लर, फूड सर्विस आदि के लिए उपयुक्त है।
- **महिला शक्ति केंद्र योजना:** ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। इसके अंतर्गत महिलाएं विभिन्न कौशल जैसे बुटीक संचालन, डिजिटल सेवाएं आदि अभ्यास कर सकती हैं।
- **स्टैंड-अप इंडिया योजना:** इस योजना के तहत महिलाओं को बड़े व्यवसाय के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक ऋण सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और इस व्यवसाय योजना के अनुसार महिला के विकास में वृद्धि करना है। ई-हाट: यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म महिलाओं को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक बेचने की सुविधा प्रदान करता है। डिजिटल और ई-कॉमर्स के माध्यम से महिलाएं अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ा सकती हैं मार्ग दर्शन देना है।
- **महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना:** महिला किसानों को टिकाऊ और जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण, बीज, उपकरण और वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आय और उत्पादन क्षमता बढ़ती है।

इनके अतिरिक्त भी विभिन्न राज्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक सहायताएं प्रदान कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र की माझी बहिन योजना और दिल्ली की महिला समृद्धि योजना, जिनके तहत महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता और स्वरोजगार के अवसर दिए जाते हैं।



चुनौतियाँ और बाधाएँ

यद्यपि महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है, फिर भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लैंगिक असमानता, वेतन में भेदभाव, सीमित अवसर, सामाजिक रूढ़ियाँ और सुरक्षा संबंधी समस्याएँ उनकी प्रगति में बाधा बनती हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू जिम्मेदारियों का असमान बोझ भी महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को सीमित करता है। इन चुनौतियों का समाधान किए बिना समावेशी आर्थिक विकास संभव नहीं है।

• सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ

भारतीय समाज लंबे समय से पुरुष प्रधान रहा है। महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे केवल घरेलू कार्य और परिवार की देखभाल तक सीमित रहें। इसके कारण उन्हें नौकरी, व्यवसाय या अन्य आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने से रोका जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का घर से बाहर काम करना निम्न श्रेणी का माना जाता है। इससे उनके लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर कम हो जाते हैं। परिवार में महिलाएं घर के काम और बच्चों की देखभाल के अतिरिक्त अपनी पेशेवर जिम्मेदारियाँ निभाने को बाध्य हैं, जो उनके आर्थिक सक्रियता को सीमित करता है।

• शिक्षा और कौशल में कमी

भारत में महिला साक्षरता दर अभी भी पुरुषों की तुलना में कम है। इसके कारण महिलाओं को रोजगार और बेहतर आर्थिक अवसरों

में सीमित पहुँच मिलती है। व्यावसायिक और डिजिटल कौशल क्षेत्रों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी कम है। इससे उन्हें हाई-प्रोफाइल और विकसित क्षेत्रों में अवसरों में बाधा आती है। इसके अतिरिक्त कई शैक्षणिक स्टीम और कौशल आधारित क्षेत्र जैसे- इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक, सर्जन, कॉर्पोरेट सेक्टरों में महिलाओं की संख्या अत्यधिक न्यून है चूंकि सदियों से ये क्षेत्र पुरुष प्रधान ही रहे हैं। महिलाओं के प्रति इन क्षेत्रों में विश्वास की कमी अभी बनी हुई है।

• आर्थिक और वित्तीय बाधाएँ

कई महिलाओं को खुद का व्यवसाय या उद्यम खड़ा करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन नहीं मिलते। बैंकिंग और ऋण सुविधाओं तक उनकी पहुँच भी सीमित रहती है। असमान वेतन और अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार जैसी स्थितियाँ अभी भी समाज से समाप्त नहीं हुई हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण खेल जगत है जहाँ महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम महत्ता दी जाती है। बीसीसीआई द्वारा एक पहल के रूप में सराहनीय कदम उठाते हुए समान पारितोषिक (वेतन) दिया जाने लगा है। महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा कृषि, परिधान निर्माण सहित अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत है, जहाँ कम वेतन और सामाजिक सुरक्षा की कमी होती है।

• कानूनी और नीतिगत कमजोरियाँ

मातृत्व लाभ, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम और महिला आरक्षण जैसी नीतियाँ लागू हैं, फिर भी छोटे उद्यमों और अनौपचारिक क्षेत्रों में उनका प्रवर्तन कमजोर है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों और उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं ने उन्हें सुरक्षित कार्य और रोजगार क्षेत्रों में भागीदारी के लिए हतोत्साहित किया है।

• नेतृत्व और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी

सीलबंद करियर अवसर: महिलाओं के लिए प्रबंधकीय और नेतृत्वकारी पदों तक पहुँच सीमित है, जिससे आर्थिक निर्णय ले पाने की शक्ति कम हो जाती है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व: संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या अभी भी कम है, जिससे नीति निर्माण में उनका प्रभाव सीमित रहता है।

भविष्य की संभावनाएँ

यदि महिलाओं को समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया जा सकता है। महिला श्रमबल की भागीदारी बढ़ने से उत्पादन, उपभोग और कर राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही, महिलाओं की भागीदारी से आर्थिक विकास अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनेगा। महिला आर्थिक सशक्तिकरण केवल महिलाओं को ही लाभ नहीं पहुँचाता, बल्कि यह समाज और राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए भी अनिवार्य है। शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय स्वतंत्रता, उद्यमिता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है। जब महिलाएं सशक्त होंगी, तभी समाज में समानता और न्याय के मूल्यों का स्थायित्व आता है और राष्ट्रीय विकास की गति बढ़ती है।

उपसंहार

अंततः यह स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान केवल सहायक नहीं, बल्कि परिवर्तनकारी है। वे कृषि में श्रमशक्ति प्रदान करती हैं, उद्योग में उत्पादन बढ़ाती हैं, सेवा क्षेत्र में गुणवत्ता और नवाचार लाती हैं तथा उद्यमिता के माध्यम से नए अवसरों का सृजन करती हैं। उनके श्रम, कौशल और नेतृत्व ने भारत की आर्थिक संरचना को अधिक सुदृढ़, विविध और प्रतिस्पर्धी बनाया है।

फिर भी वास्तविक आर्थिक सशक्तिकरण तभी संभव होगा जब महिलाओं को समान वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ और निर्णय-निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। लैंगिक समानता केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं, बल्कि आर्थिक अनिवार्यता भी है। अनेक अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि जब महिलाओं की श्रमबल भागीदारी बढ़ती है, तो राष्ट्रीय आय, पारिवारिक कल्याण और सामाजिक विकास में तीव्र वृद्धि होती है।

इसलिए आवश्यक है कि सरकार, समाज और निजी क्षेत्र मिलकर ऐसी नीतियाँ और वातावरण तैयार करें जहाँ महिलाएं बिना किसी भेदभाव के अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकें। जब भारत की हर महिला शिक्षित, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त होगी, तब ही सच्चे अर्थों में 'विकसित भारत' का सपना साकार होगा। महिलाओं की प्रगति ही राष्ट्र की प्रगति है—और यही भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थायी समृद्धि का आधार है।

मुख्य प्रबंधक

प्र.का. कार्यनीति विभाग

Self Help Group Interaction Programme

Bank organised a Self Help Group (SHG) Interaction Programme at Ramada, Chennai, under the Chennai Zone, aimed at strengthening engagement with women-led grassroots enterprises and understanding the on-ground experiences of SHG members. Shri Swarup Kumar Saha (MD & CEO) with Shri Rajeev Bansal (Zonal Manager) inaugurated the programme and around 100 SHG members from across the Chennai Zone participated and shared their experiences.



मार्च 2026 को समाप्त तिमाही हेतु बैंक के वित्तीय परिणाम

राशि करोड़ में

मानक	चतुर्थ तिमाही वित्त वर्ष 2024-25	चतुर्थ तिमाही वित्त वर्ष 2025-26	वार्षिक विकास-दर
परिचालन लाभ (करोड़ में)	816	542	-274
शुद्ध लाभ (करोड़ में)	313	422	109
आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) %	0.79	0.96	17 बीपीएस
लाभांश (आरओई) %	12.40	14.29	189 बीपीएस
अग्रिम उपज (वाईओए) %	9.69	8.05	(164) बीपीएस
लागत आय अनुपात %	54.61	61.32	671 बीपीएस
गैर ब्याज आय (करोड़ में)	676	427	-249
ऋण जमा अनुपात	76.75	80.80	405 बीपीएस
स्लीपेज अनुपात	0.29	0.33	4 बीपीएस
सकल गैर निष्पादित आस्ति (%)	3.38	2.40	(98) बीपीएस
निवल गैर निष्पादित आस्ति (%)	0.96	0.79	(17) बीपीएस
वसूली एवं उन्नयन (करोड़ में)	891	523	-368
ऋण लागत (%)	0.34	0.02	(32) बीपीएस
निवल ब्याज मार्जिन%	3.19	2.49	(70) बीपीएस
कासा जमा	40790	44876	4086
कुल जमा	129774	145829	16055
सकल अग्रिम	99605	117823	18218
कुल व्यापार	229379	263652	34273

दिनांकित 31.03.2026 तक आंचलिक

आंचलिक कार्यालय	कोर जमा			सकल जमा			कासा		
	मार्च, 25	मार्च, 26		मार्च, 25	मार्च, 26		मार्च, 25	मार्च, 26	
		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि
आगरा	2,204	2,562	2,571	2,705	3,188	3,080	1,048	1,217	1,187
अमृतसर	4,718	5,531	5,247	5,087	6,001	5,516	1,889	2,193	2,065
बरेली	2,273	2,657	2,498	2,515	2,974	2,573	1,468	1,703	1,586
बठिंडा	2,635	3,074	2,927	2,668	3,123	2,961	1,207	1,377	1,310
भोपाल	2,688	3,166	3,106	3,366	3,994	3,953	1,156	1,356	1,173
चंडीगढ़	7,137	8,263	7,429	8,661	10,037	8,409	3,098	3,597	2,819
चेन्नै	1,095	1,284	1,574	2,082	2,422	2,928	528	616	800
देहरादून	2,851	3,346	3,094	3,239	3,858	3,252	1,332	1,542	1,279
दिल्ली - I (एलसीबी के अतिरिक्त)	5,875	6,890	6,855	8,609	10,015	10,415	1,969	2,304	2,051
दिल्ली - II	7,914	9,147	8,966	9,587	11,120	10,235	2,881	3,354	3,074
फरीदकोट	1,878	2,206	2,135	1,904	2,247	2,146	822	950	908
गांधीनगर	606	711	1,135	1,348	1,553	1,925	233	270	319
गुरदासपुर	4,081	4,787	4,658	4,136	4,857	4,704	1,775	2,059	2,047
गुरुग्राम	2,061	2,425	2,329	2,439	2,903	2,572	936	1,085	1,021
गुवाहाटी	1,782	2,097	1,894	1,919	2,284	2,119	1,101	1,284	1,102
होशियारपुर	5,221	6,113	5,895	5,237	6,138	5,901	2,131	2,464	2,375
जयपुर	1,927	2,271	2,153	2,576	3,070	2,728	797	929	876
जालंधर	6,956	8,063	7,711	7,081	8,239	7,829	2,628	3,022	2,873
कोलकाता	2,289	2,684	2,475	3,639	4,234	3,440	852	990	860
लखनऊ	1,993	2,342	2,645	3,140	3,688	3,914	963	1,121	1,098
लुधियाना	4,815	5,659	5,439	5,553	6,546	5,667	2,055	2,388	2,140
मोगा	3,364	3,949	3,795	3,374	3,969	3,806	1,558	1,802	1,702
मुंबई (एलसीबी के अतिरिक्त)	2,353	2,776	3,615	2,938	3,485	4,026	843	977	1,665
नोएडा	4,160	4,908	5,097	4,778	5,671	5,837	2,041	2,384	2,355
पंचकूला	3,343	3,931	3,610	3,836	4,550	4,355	1,519	1,759	1,595
पटियाला	3,867	4,528	4,286	3,957	4,669	4,350	1,396	1,615	1,582
पटना	1,509	1,766	1,855	2,129	2,512	2,267	699	812	895
वाराणसी	1,146	1,346	1,290	1,258	1,508	1,341	571	665	621
विजयवाड़ा	1,574	1,856	2,467	4,659	5,215	6,468	774	899	938
एलसीबी दिल्ली	409	440	441	4,020	4,660	3,092	126	129	165
एलसीबी मुंबई	461	505	727	3,729	4,375	14,016	393	431	393
कुल*	95,184	111,283	109,918	122,171	143,105	145,824	40,789	47,294	44,874

*कौलेंडिंग, ट्रेड तथा समवर्त के अतिरिक्त

कार्यालयों का कार्य प्रदर्शन

आंचलिक कार्यालय	खुदरा अग्रिम			कृषि अग्रिम			सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अग्रिम			गैर निष्पादित आस्तियाँ		
	मार्च, 25	मार्च, 26		मार्च, 25	मार्च, 26		मार्च, 25	मार्च, 26		मार्च, 25	मार्च, 26	
		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि
आगरा	505	650	633	66	195	119	448	625	556	106	70	91
अमृतसर	743	935	818	580	770	620	313	445	349	91	60	92
बरेली	410	530	410	1,432	1,770	1,568	636	800	623	266	176	279
बठिंडा	444	585	561	1,250	1,505	1,475	320	455	314	87	58	71
भोपाल	495	680	656	276	465	393	831	1,170	1,387	94	62	90
चंडीगढ़	1,420	1,765	1,645	355	510	411	789	1,080	984	88	58	68
चेन्नै	722	925	864	117	225	299	488	695	608	91	60	55
देहरादून	518	670	576	215	335	220	452	640	486	60	40	51
दिल्ली - I (एलसीबी के अतिरिक्त)	953	1,200	1,036	31	145	63	1,087	1,420	1,414	86	47	75
दिल्ली - II	1,062	1,340	1,264	93	260	181	753	1,035	887	44	29	22
फरीदकोट	265	375	326	830	1,055	1,015	193	310	258	78	51	65
गांधीनगर	351	510	455	81	220	168	401	640	748	61	40	40
गुरदासपुर	464	595	513	737	905	828	375	530	418	151	100	124
गुरुग्राम	851	1,070	1,004	341	485	401	377	530	478	47	31	38
गुवाहाटी	343	455	431	19	135	53	274	400	353	24	16	25
होशियारपुर	460	595	538	644	810	726	186	300	235	79	52	73
जयपुर	783	995	868	735	945	854	662	880	714	161	107	130
जालंधर	612	775	709	359	525	389	424	595	546	101	67	81
कोलकाता	472	615	521	152	275	300	649	920	808	244	162	197
लखनऊ	455	595	533	153	285	218	494	700	617	115	76	98
लुधियाना	568	735	684	670	880	831	685	950	676	168	111	136
मोगा	302	410	357	1,022	1,265	1,202	207	295	256	98	65	97
मुंबई (एलसीबी के अतिरिक्त)	738	945	807	82	245	172	484	750	853	96	64	65
नोएडा	950	1,195	1,152	397	555	450	508	725	665	110	73	100
पंचकूला	597	760	723	653	835	743	436	620	560	135	89	107
पटियाला	609	775	736	968	1,215	1,199	493	635	469	91	60	80
पटना	362	490	455	37	170	93	409	630	536	72	48	69
वाराणसी	231	345	271	83	210	139	266	425	369	74	49	68
विजयवाड़ा	772	985	946	114	305	281	529	800	835	63	42	39
एलसीबी दिल्ली	36	50	31	18	33	25	207	250	366	38	25	38
एलसीबी मुंबई	2	10	2	901	15	612	708	250	927	0	-	8
कुल*	17,495	22,560	20,523	13,410	17,548	16,048	15,085	20,500	19,295	3,023	1,988	2,572

*कौलेंडिंग, ट्रेड तथा समवर्त के अतिरिक्त

भारतीय बैंकिंग जगत में महिलाएं



मोहन लाल

मार्च का महीना एक तरफ वित्तीय वर्ष के अंत से संबंधित है और दूसरी तरफ इसी माह की आठ तारीख को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। जाहिर है इस माह में इसका विश्लेषण भी होना चाहिए कि किस प्रकार महिलाओं ने घर की दहलीज से परे समाज में अपनी भूमिका को स्थापित किया है और विशेषकर भारतवर्ष में जहां सदियों से महिलाओं के लिए घर के अंदर सिमटे रहने, पति, बच्चों की सेवा करने को ही उनके योगदान की इति मानी जाती रही है, वहां परिवर्तन की लहर दर्शनीय है। वर्षों तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में जैविक रूप से कमजोर आंका गया था और इस मनोवैज्ञानिक दबाव से उभरकर समाज के लिए कुछ कर गुज़रने की आकांक्षा ने धीरे-धीरे उनके आत्मविश्वास को संरक्षित किया। आज विरला ही कोई क्षेत्र होगा जहां महिलाओं ने अपने हस्ताक्षर नहीं छोड़े। इस सामाजिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि में कौन सी शक्ति प्रभावी रही, यह भी विचारणीय है। वैसे तो भारतीय शास्त्रों में महिलाओं को शक्ति का पर्याय ही माना गया है और धार्मिक साहित्य में माँ दुर्गा, काली, शीतला माता, बंगला मुखी, छिन्नमस्ता आदि तेजोमय मातृ-शक्ति की आराधना का वर्णन है परंतु समाज में उनकी भूमिका पर अवरोध के दृष्टांत भी कम नहीं हैं। पुरुष प्रधान समाज में ऐसा होना अस्वाभाविक भी नहीं है लेकिन समय बदल गया है। सर्व सुलभ शिक्षा और बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था ने इस सामाजिक परिवर्तन को गति प्रदान की है। पश्चिमी देशों में उन्मुक्त महिला शक्ति ने उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा और पश्चिमीकरण के दोहरे प्रभाव ने महिलाओं में भी अपनी सामाजिक भूमिका के प्रति मानसिक शक्ति का संचार किया और आज हम देख सकते हैं कि महिलाएं, पुरुषों के पीछे नहीं वरन उनके समानांतर चल रही हैं।

इक्कीसवीं शताब्दी में भारतीय महिलाएं अपनी प्रतिभा के लिए मुहताज नहीं हैं। बरसों तक शिक्षा से दूर, गृह-कार्य तक सीमित, घूँघट में ढंकी



महिलाओं ने देश के लिए, समाज के लिए और अपने लिए भी अपने रास्ते बना लिए हैं। शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्र में महिलाओं ने पहले भी अपनी योग्यता को प्रमाणित किया है और आज सेना, फाइटर पायलट और रॉकेट विज्ञान में, अंतरिक्ष अनुसंधान में भी उनके हस्ताक्षर स्पष्ट हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र या काम नहीं जहां महिलाओं ने अपनी उपस्थिति और योग्यता को प्रमाणित नहीं किया है। नब्बे के दशक तक बैंकिंग क्षेत्र में महिलाओं की संख्या गिनी-चुनी थी पर बदलते समय के साथ पुरुष के साथ कदम ताल करते हुए महिलाओं ने बैंकिंग क्षेत्र में भी तेजी से अपनी संख्या में बढ़ोतरी की है। बैंक व्यवसाय सेवा क्षेत्र में आता है और महिलाएं परंपरागत रूप से सेवा भाव का ही पर्याय होती हैं और इसीलिए कोई विस्मय नहीं कि महिलाएं इस क्षेत्र में बहुपयोगी प्रमाणित हो चुकी हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आकलन समीचीन होगा कि बैंकिंग में महिलाओं का योगदान कितना प्रभावी है अथवा निष्प्रभावी है।

बैंकिंग जगत के कार्यकलाप में एक निरंतरता रहती है और जब तक बैंक, निजी स्वामित्व के अधीन रहे, व्यवसाय की अनिवार्यता जैसे जमा संग्रहण के लिए भ्रमण व ग्राहकों से संपर्क का दबाव ऐसा था कि महिलाओं की उपस्थिति नगण्य रही। सरकारीकरण के साथ, बैंकों

के लिए ठोस मानव संसाधन नीतियां, बैंक नियमन और बैंक शाखाओं के प्रसार ने शिक्षित महिलाओं के लिए अपने द्वार खोल दिए। प्रारंभ में महिलाओं के लिए यह ज्यादा आकर्षक नहीं था। बैंकों में भर्ती की नई व्यवस्था, खुली प्रतियोगिता का आयोजन, भर्ती में पारदर्शिता और योग्यता की सही पहचान के समावेशन पश्चात महिलाओं ने भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया और उनका रुझान बैंकों की ओर बढ़ा।

बैंक का मूल कार्य अपने ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकता को समझने और पूरा करने से संबंधित है। जमाकर्ता की गाढ़ी कमाई की सुरक्षा और समय-समय पर जमा निकासी में ग्राहकों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना तथा भावी धोखे से बचने के लिए सजग रखना तो कर्तव्य का महत्वपूर्ण पक्ष है। जमा संग्रहण के बाद बैंक के संसाधनों के विनियोग से यथा व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध करवाना, ग्राहकों की इच्छानुसार उनकी जमा राशि को लाभप्रद क्षेत्र में निवेश का सुझाव देना आदि मोटे तौर पर बैंक व्यवसाय के विभिन्न पक्ष हैं। इन कार्यों के कुशल संपादन के लिए तकनीकी जानकारी, नियम एवं अनुबंधों की समझ, देश के तत्संबंधी कानून की बारीकी आदि की जानकारी हासिल करना भी बैंक कार्मिकों का उत्तरदायित्व है। कुल मिलाकर बैंक के संसाधनों और बैंक के ग्राहकों के धन का कुशल प्रबंधन ही बैंक के सफलता की गारंटी होती है। महिलाएं स्वाभाविक रूप से पुरुषों की अपेक्षा धन विषयक मामलों में बेहतर होती हैं। अशिक्षा के बावजूद आदि काल से महिलाओं ने गृह प्रबंधन का दायित्व संभालने का काम किया है। परिवार की छोटी इकाई ही सही, पर सीमित संसाधनों में सबकी आवश्यकता को पूरा करने में उनका मनोयोग स्वयं सिद्ध है। प्रश्न यह है कि अपने इस नैसर्गिक प्रतिभा का प्रयोग वह बैंक व्यवसाय में उन्नति के लिए प्रयोग कर सकती हैं अथवा नहीं। उत्तर सीधा है, बिल्कुल कर सकती हैं या यह बेहतर होगा कि हम मान लें कि वह ऐसा करती भी हैं।

बचत के लिए संजीदगी महिलाओं में नैसर्गिक रूप से विद्यमान होती है और आदत के अनुसार अपने लिए तय किए गए परिधि का सम्मान भी करती हैं इसीलिए नियमों के अनुपालन में वह चूक नहीं ही करती हैं। चूंकि एक स्त्री में मां प्रच्छन्न रूप से हमेशा मौजूद रहती है चाहे वह जैविक रूप से मां ना भी हों लेकिन उनका यह गुण ग्राहकों की कठिनाई समझने और सुलझाने में उनकी सहायता करता है जिससे ग्राहकों में संतुष्टि का भाव देखा जा सकता है। बैंकों में अक्सर देखा जाता है कि चूक या धोखे की स्थिति से बैंक का नुकसान होना। रिकार्ड

देखा जाए तो एक कर्मचारी के तौर पर चूक अथवा धोखे के मामलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। कारण भी स्पष्ट है, एक कर्मचारी होने के अतिरिक्त उनके ऊपर परिवार चलाने का भी भार होता है। बैंक से बचे समय का सदुपयोग वह परिवार, पति, बच्चे या फिर माता-पिता के साथ और उनके लिए समर्पित होता है। बैंक से बाहर उनका अपना घर ही उनकी दुनिया है।

तीसरी बड़ी विशेषता है, अमूमन स्त्रियों का मृदुभाषी होना। वैसे अपवादों की कमी नहीं है फिर भी अधिकांश महिलाएं मृदुल ही होती हैं और इसका लाभ एक तरफ आंतरिक अनुशासन की मजबूती है तो दूसरी ओर ग्राहकों के साथ संभावित विवादों की न्यूनता। कठोरतम महिलाएं भी एक सीमा से अधिक प्रगल्भ नहीं हो सकतीं जबकि इसके विपरीत पुरुषों में इतना धैर्य नहीं होता और अक्सर विवाद की स्थिति में उनके द्वारा सीमा का अतिक्रमण माहौल में नकारात्मक स्थिति का कारक बन जाता है। इन कसौटियों पर देखा जाए तो महिलाओं द्वारा बैंकिंग व्यवसाय को अपनाने से अनेक लाभ हैं। किसी भी ग्राहक से उनका मेलजोल व्यावसायिक सीमा के अंदर ही रहता है और जान-बूझकर किसी के प्रति रुझान के अभाव के कारण वह बैंक के अधिनियमों के अनुपालन में भी बेहतर सिद्ध होती हैं।

भारत में विकास के प्रति प्रतिबद्धता तो आजादी के बाद शुरू हो गयी थी परंतु लंबे औपनिवेशिक शासन में मची लूट में संसाधनों का विनाश, गरीबी, भुखमरी आदि के कारण विकास की गति उतनी तीव्र नहीं रही लेकिन एक बार जब विकास की गति में गुणात्मक परिवर्तन आया तो समावेशी विकास को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन के युग में महिलाएं स्वयं आगे आने लगीं जिसका एक प्रतिफल था बैंकों में ऐसे कार्मिकों की आवश्यकता जो समावेशी विकास को गति दे सके। महिलाओं के स्वयं सेवा समूहों का गठन और उनकी सहायता से महिलाओं में उत्पादन के लिए संसाधन जुटाने का दायित्व बैंकों पर आया। इस तरह के दायित्व निर्वहन के लिए संवेदनशीलता की आवश्यकता थी। संवेदनशीलता, महिलाओं का स्वाभाविक गुण है और उनका यही गुण वित्तीय समावेशन के युग में उनकी उपयोगिता बढ़ाता है। जन-धन खातों के माध्यम से महिलाओं को बैंक से जोड़ना, उनकी छोटी-छोटी बचत को पूंजी की शकल में बदलना, प्रशिक्षण द्वारा महिलाओं में उद्यमिता के लिए आग्रह पैदा करना और फिर उनकी अभिरुचि व ज्ञान के अनुसार व्यवसाय के चुनाव में परामर्श देना अन्ततः वित्तीय पोषण में परिणत होता है। बैंकों ने इस तरह गरीब, कमजोर

तबके की महिलाओं के लिए आय सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है जिससे आर्थिक विकास को समावेशी बनाया जा सके। यह प्रक्रिया बैंक में महिला अधिकारियों की आवश्यकता पर भी बल देता है।

प्रबंधन की नैसर्गिक क्षमता, जैसा कि गृह प्रबंध में आदिकाल से करती आ रही हैं, महिलाओं को बैंक में एक बढ़त देता है। चूंकि आज के बैंकिंग जगत से ग्राहक के तौर पर भारी संख्या में महिलाएं जुड़ गयी हैं तो उनसे आत्मीय संवाद के द्वारा उनकी बैंकिंग समस्याओं का निराकरण करना, विभिन्न बचत योजनाओं के प्रति महिला ग्राहकों को जागरूक करना, उद्यमिता के लिए प्रोत्साहन देना ऐसे अनेक कार्य हैं जो महिला अधिकारी अपने सकारात्मक संवाद द्वारा सहजता से कर सकती हैं। महिला ग्राहकों और विशेषकर कमजोर वर्ग से जुड़ी महिलाएं, पुरुष कर्मचारियों से विस्तृत या खुला संवाद नहीं कर सकती इसलिए बैंक में महिला अधिकारियों की उपस्थिति उनके लिए संबल की तरह है।

मानव संसाधन विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार बैंकों में भी ऐसे नियमन किए गये हैं जो महिलाओं की नैसर्गिक आवश्यकता की देखभाल करता है, यथा मातृत्व अवकाश, मासिक छुट्टियां, यथासंभव महिलाओं को अपने पति अथवा परिवार के निकट तबादला, महिलाओं के लिए शौचागार की व्यवस्था, असुरक्षित स्थानों पर उनकी नियुक्ति नहीं करना, कार्यस्थल पर उनके लैंगिक शोषण रोकने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान इत्यादि। इन नियमनों को प्रभावी बनाने के लिए उनमें निरंतर सुधार जारी है। इस तरह की व्यवस्था से महिलाओं में बैंक की नौकरी के लिए रुझान भी बढ़ा है तथा समावेशी परिसर में अपनी भूमिका के प्रति उनके उत्तरदायित्व में भी वृद्धि हुई है।

समय के साथ महिलाओं ने अधीनस्थ अवार्ड कर्मचारी, कनिष्ठ, मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन में अपनी जगह बनाई है। अपनी प्रतिभा के अनुरूप उन्होंने नवाचार भी विकसित किया है। श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, भारतीय स्टेट बैंक के शिखर पर आसीन रही हैं। श्रीमती ऊषा थोराट भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च पद पर आसीन रही हैं और बैंकिंग क्षेत्र में इनका योगदान उल्लेखनीय भी रहा है। बैंक में प्रबंधन श्रेणी के कार्मिक का स्थानांतरण पूरे देश में कहीं भी हो सकता है और इस स्थिति में महिलाओं के पारिवारिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसके फलस्वरूप वरिष्ठ प्रबंधन के समक्ष महिलाओं की पद नियुक्ति एक कठिन आदेश होता है। यद्यपि इस स्थिति के लिए महिलाओं ने मानसिक रूप से अपने आपको तैयार करना आरंभ कर दिया है और वह भी पूरे देश में कहीं भी

योगदान के लिए तत्पर हो रही हैं। आशा है कि शीघ्र ही स्थानांतरण की अनिवार्यता को सभी महिलाएं स्वीकार करने लगेंगी। दूसरी समस्या है कि पुरुषों की तरह महिलाओं को कहीं भी, किसी भी स्थान पर योगदान के लिए नहीं भेजा जा सकता। उनके लिए सुरक्षा के अलग मापदंड हैं और स्थान विशेष पर उसकी व्यवस्थाएं मुश्किल होती हैं। आज का युग तकनीक का युग है और बैंक में भी तकनीक का व्यापक प्रयोग हो रहा है। अच्छी बात यह है कि तकनीकी जानकारी के लिए महिलाओं में रुझान बढ़ा भी है। महिलाएं, अभियांत्रिकी और विशेषकर सूचना तकनीक क्रांति के साथ दिन-ब-दिन परिपक्व भी हो रही हैं जिससे बैंकों को तकनीकी प्रसार में सहूलियत हो रही है। बैंक में कार्य-प्रणाली के दो स्वरूप हैं। प्रथम, डेस्क पर काम जहां ग्राहकों के साथ सीधे-सीधे संपर्क होता है। दूसरा, बैंक ऑफिस के कार्य जहां तकनीक के प्रयोग की व्यापक संभावनाएं हैं।

जब यह सत्य स्थापित हो चुका है कि महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी योग्यता और क्षमता को प्रमाणित किया है तथा यह भी कि उच्च से उच्चतर पदों को शोभित किया है तो यह मान लेना कि देश की पचास प्रतिशत जनता अब परिचय की मुहताज नहीं है। यहां तक कि सामान्यतः महिलाओं के लिए वर्जित क्षेत्र यथा सेना में भी उनका योगदान प्रशंसनीय है। आपरेशन सिंदूर के समय दो महिलाएं दूरदर्शन पर आकर जनता को संबोधित करती थीं, उसे पूरे देश ने देखा और सराहा। साहस और सेवा के साथ अध्ययन, ज्ञान-पिपासा के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं को आज अग्र पंक्ति में देखा जा सकता है। बैंकिंग में भी उनकी बुलंद उपस्थिति और कार्य-शैली से ग्राहक सेवा में गुणात्मक परिवर्तन आया है।

मां भारती की लाडलियों ने सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और आज बैंकों में भी उनकी संख्या, प्रत्येक स्तर पर उनकी प्रतिभा और उत्साह का प्रदर्शन कर रही हैं। सर्वथा पुरुष प्रधान बैंकिंग क्षेत्र में जिस तरह से मजबूती से महिलाओं ने अपने पैर जमाए हैं और बैंकों में उच्चतम पदों पर अपनी दमदार उपस्थिति से सभी महिलाओं को अभिप्रेरित किया है, उन सभी महिलाओं का उद्यम, भारतीय बैंकिंग जगत के लिए अपूरणीय बनता जा रहा है। तेजी से बढ़ते भारत में यह सकारात्मक परिवर्तन देश की महिलाओं को उच्च, उच्चतर विकास का अवसर प्रदान कर रहा है जो अंततः पूरे देश के लिये गौरव की बात है।

-राजभाषा अधिकारी
आंचलिक कार्यालय देहरादून

आंचलिक कार्यालय पटना का शुभारंभ



श्री राजीवा (कार्यपालक निदेशक), श्री गोपाल कृष्ण (महाप्रबंधक) आंचलिक कार्यालय, पटना का उद्घाटन करते हुए।



एमएसएमई शिखर

“ श्री स्वरूप कुमार साहा (एमडी एवं सीईओ), श्री राजेंद्र कुमार रैगर (महाप्रबंधक), श्री चमन लाल शीहमार (क्षेत्र महाप्रबंधक, चंडीगढ़) के नेतृत्व में पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत मेगा एमएसएमई क्रेडिट अभियान का आयोजन किया गया। ”



एमएसएमई शिखर



॥ इस व्यापक कार्यक्रम में बैंक के बहुमूल्य ग्राहकों एवं पंजाब क्षेत्र के अंचल कार्यालयों के आंचलिक प्रबंधको की गरिमामय उपस्थिति रही। ॥

आपकी पूंजी, आपका अधिकार: वित्तीय सशक्तिकरण की एक नई क्रांति



कीर्ति गुप्ता

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की नींव उसके नागरिकों की बचत और निवेश पर टिकी होती है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ लोग अपनी गाढ़ी कमाई का एक-एक पैसा भविष्य के लिए सहेजते हैं, वहाँ करोड़ों रुपये की 'अदावी राशि' का होना एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। समय की धूल में अक्सर पुरानी बचत और निवेश कहीं खो जाते हैं। कभी पता बदलने से, तो कभी कागज़ात गुम होने से... करोड़ों भारतीयों की मेहनत की कमाई वित्तीय संस्थानों के पास अदावी राशि के रूप में जमा रह गई। अक्सर वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण लोग अपने निवेश का रिकॉर्ड नहीं रखते। जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि जैसे तंत्र इसीलिए निर्मित किए गए हैं ताकि आपकी राशि सुरक्षित रहे। आजकल जीवन अप्रत्याशित हो चला है और हम अपने पूर्वजों की कमाई या अपने स्वयं की धनराशि के बारे में जागरूक नहीं हैं, इसलिए भारत सरकार ने नए अभियान "आपकी पूंजी आपका अधिकार" के तहत अदावी राशि उसके मालिकों तक पहुँचाने की पहल शुरू की। आपकी पूंजी, आपका अधिकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा, प्रमुख नियामकों जैसे भारिबैं, सेबी, आईआरडीएआई तथा पीएफआरडीए के समन्वय में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बैंक खाता स्थानांतरित कर लेते हैं, नौकरी बदलने पर भविष्य निधि का पैसा भूल जाते हैं या किसी पासबुक की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। इसी वजह से लाखों रुपये बैंकों में ऐसे ही आदावाकृत रह जाते हैं। इस समस्या का निवारण करने के लिए केंद्र सरकार ने 'आपकी पूंजी आपका अधिकार' नाम का अभियान का आरंभ किया है।

इस अभियान का उद्घाटन केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 4 अक्टूबर, 2025 को गांधीनगर, गुजरात से किया। अक्टूबर 2025 में शुरू किया गया यह अभियान 3ए (जागरूकता, पहुंच, कार्रवाई) ढांचे के तहत, लगभग 748 जिलों में सहायता शिविरों

और यूडीजीएम पोर्टल के माध्यम से लगभग ₹1.84 लाख करोड़ से अधिक की अदावाकृत राशि को वापस दिलाने का प्रयास करता है। यह केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है जो वित्तीय न्याय और पारदर्शिता का प्रतीक है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नागरिकों की बचत के प्रत्येक रुपये का दावा वे स्वयं या उनके कानूनी उत्तराधिकारी और नामांकित व्यक्ति कर सकें। यह अभियान जनता को इसमें प्रमुखता से भाग लेने, जागरूकता फैलाने और हर घर में वित्तीय समावेशन को मज़बूत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह नागरिकों को उनके मूल धन को ज्ञात करने तथा दावा करने के तरीके के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास करेगा। इसमें संबंधित निधि नियामकों द्वारा विकसित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) सहायक होंगे। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। बीमा पॉलिसी के दावे, बैंक जमा, लाभांश, शेयर और म्यूचुअल फंड की आय सहित अदावी वित्तीय संपत्तियां अक्सर जागरूकता की कमी या पुराने खाता विवरण के कारण बिना दावे के ही रह जाती हैं। इस अभियान के दौरान नागरिकों को अपनी बिना दावे वाली संपत्तियों का पता लगाने, रिकॉर्ड अपडेट करने और दावा प्रक्रिया पूरी करने के बारे में तत्काल मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी अदावी वित्तीय संपत्तियों पर स्वामित्व दिलाना है। अभियान में देश भर के बहुत जिलों में बैंकों में जमा धनराशि, बीमा, म्यूचल फंड, लाभांश और शेयर से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए सहायता शिविर आयोजित किए गए। इसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के द्वारा भी लोगों को अपनी संपत्तियों पर दावा करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए। वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि इस अभियान का उद्देश्य दूर-दराज के क्षेत्रों तक वित्तीय सेवाओं को पहुंचाना है। अभियान, जागरूकता, पहुंच और प्रतिक्रिया के तीन सूत्री ढांचे पर तैयार किया

गया। मंत्रालय ने कहा कि सरकार वित्तीय सेवाओं में संस्थागत सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। भूले हुए या लंबे समय से निष्क्रिय पड़े वित्तीय साधनों को पुनः मुख्यधारा से जोड़ना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। विशेष रूप से ऐसे मामलों में, जहाँ खाताधारक का पता उपलब्ध नहीं है या किसी प्रकार का नामिनी दर्ज नहीं किया गया है, वहाँ संबंधित व्यक्तियों या उनके उत्तराधिकारियों तक उनकी जमा पूंजी को सुरक्षित और सरल तरीके से पहुँचाना इस योजना का लक्ष्य है। इसके साथ ही, आम नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना, उन्हें अपने वित्तीय अधिकारों के प्रति सचेत करना तथा वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास को मजबूत करना भी इस अभियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह बैंकों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड और शेयर से संबंधित अदावी राशि संपत्ति पर भी लागू होता है। इसके अंतर्गत बचत खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, बीमा पॉलिसियाँ, डिविडेंड, शेयर तथा अन्य निवेश साधनों को शामिल किया है, जो लंबे समय से बिना दावे के पड़े हैं।

अदावी वित्तीय संपत्तियाँ:

- ◆ यदि किसी बैंक खाते में 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक कोई वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन (निकासी, जमा, निधि अंतरण, केवाईसी अद्यतन) नहीं होता है, तो वह निष्क्रिय हो जाता है।
- ◆ निष्क्रिय खाते की शेष राशि को जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष में स्थानांतरित किया जा सकता है, हालाँकि मूल खाताधारक या उनके उत्तराधिकारी बाद में उस पर दावा कर सकते हैं।
- ◆ यूडीजीएएम (अदावित जमा - सूचना तक पहुँच का प्रवेश द्वार) पोर्टल व्यक्तियों को उनके बुनियादी विवरण (नाम, जन्मतिथि, पैन) के माध्यम से कई बैंकों में अदावित जमा खोजने की सुविधा देता है।
- ◆ भारतीय रिज़र्व बैंक की "निष्क्रिय खातों और दावा न की गई जमाओं के त्वरित भुगतान की सुविधा" योजना बैंकों को निष्क्रिय निधियों को साफ करने के लिये प्रोत्साहित करती है।

क्रियाविधि (3ए फ्रेमवर्क):

विभिन्न मीडिया संसाधनों के माध्यम जैसे प्रिंट मीडिया, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जानकारी देना प्रसारित करना शामिल है। विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से यह सूचना आमजनता तक पहुंचाने का कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ-साथ अन्य वित्तीय संस्थाएँ कर

रही हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में जिला-स्तरीय शिविर और ऑनलाइन पोर्टल (यूडीजीएएम, बीमा भरोसा, सेबी का मित्र) के माध्यम से प्रक्रिया के सरलीकरण के साथ ही एक्सेसेबिलिटी प्रदान की जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लगभग ₹1.84 लाख करोड़ से अधिक की राशि अदावी राशि स्थिति में है। इसमें बैंक जमा, बीमा मैच्योरिटी, शेयरों के लाभांश तथा भविष्य निधि शामिल हैं।

अभियान का शीर्षक ही स्पष्ट करता है कि पैसा चाहे कितना भी पुराना हो, वह सरकार का नहीं बल्कि उस नागरिक का है जिसने उसे कमाया है।

यह सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं, बल्कि एक जन-आंदोलन बना है। देश के हर जिले में विशेष शिविर लगाए गए। यहाँ उन बुजुर्गों की मदद की गई जिन्होंने सालों पहले डाकघर या बैंक में खाते खोले थे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे "केवाईसी" की जटिलता को कम कर 'हकदार' को प्राथमिकता दें।

डिजिटल जादुई छड़ी (उद्गम पोर्टल): पहले इस राशि को ढूँढना मुश्किल था, लेकिन अब सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक का उद्गम पोर्टल और आईईपीएफए जैसे प्लेटफॉर्म निर्मित किए हैं। ये किसी 'सर्च इंजन' की तरह काम करते हैं जहाँ नाम डालते ही पता चल जाता है कि कहीं आपका पैसा तो नहीं फंसा है।

बीमा के लिए: बीमा भरोसा पोर्टल का उपयोग करें।

शेयर/म्यूचुअल फंड हेतु : सेबी के मित्रा पोर्टल या आईईपीएफए पोर्टल पर विवरण देखें।

आईईफईएफ पोर्टल (शेयर और निवेश) : शेयरों और डिविडेंड के दावों के लिए आईईपीएफ पोर्टल एक वरदान साबित हुआ है।

दावा कैसे करें?

इस योजना के अंतर्गत अपनी या अपने परिवार की भूली हुई अथवा अदावी संपत्ति का दावा करने के लिए सबसे पहले संबंधित आधिकारिक पोर्टलों पर जाकर खोज प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसमें अपनी मूल जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, बैंक/बीमा विवरण आदि दर्ज करके यह जांचा जा सकता है कि कोई राशि या संपत्ति आपके नाम पर लंबित है या नहीं। यदि संपत्ति का विवरण मिल जाता है, तो अगला कदम आवश्यक दस्तावेज तैयार करना होता है, जिनमें पेन कार्ड, आधार/

वोटर आईडी, बैंक खाता विवरण तथा केवाईसी से जुड़े अन्य प्रमाण शामिल होते हैं।

इसके बाद संबंधित बैंक, बीमा कंपनी या वित्तीय संस्थान से सीधे संपर्क करना होता है और निर्धारित आवेदन प्रक्रिया के अनुसार दावा प्रस्तुत करना होता है। कई मामलों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जिससे प्रक्रिया और आसान हो जाती है। यदि खाताधारक का निधन हो चुका है, तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। सभी विवरणों की जांच के बाद, सही पाए जाने पर संबंधित राशि या संपत्ति को दावेदार के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

यह अभियान हमें भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय पाठ भी सिखाता है:

नामांकन की शक्ति: हर वित्तीय खाते में नामिती का नाम होना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके बाद आपकी जमा पूंजी सीधे आपके प्रियजनों तक पहुँचे।

वित्तीय डायरी: अपने सभी निवेशों और खातों का एक रिकॉर्ड परिवार के साथ साझा करना अत्यंत आवश्यक है।

नियमित अद्यतन: अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और पता बैंक के साथ हमेशा अद्यतित रखें और इसकी सूचना बैंक, बीमा कंपनी आदि में अपने खाते के अंतर्गत साझा करें।

दस्तावेजीकरण: अपनी सभी पॉलिसियों और खातों की एक सूची परिवार के साथ साझा करें।

नियमित लेनदेन: खातों को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए उनमें समय-समय पर छोटे लेनदेन करते रहें।

*बरसों पहले बोया था जो, उम्मीदों का एक बीज,
बैंक की उन पुरानी फाइलों में, दब गई थी जो चीज़
भूल गए थे जिसे आप, वक्त की धूल के घेरे में,
सरकार ले आई है उसे अब, उजाले के सवरे में।
"आपकी पूंजी, आपका अधिकार"—यही है अब नारा,
पहुँचेगा हकदार तक, उसकी मेहनत का हर सहारा।
चाहे बैंक की जमा राशि हो, या बीमा का वो पैसा,
अब न रहेगा कोई भी हक, अधूरा या फिर वैसा।*

एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना

"आपकी पूंजी, आपका अधिकार" अभियान भारत की वित्तीय प्रणाली में विश्वास की एक नई लहर लेकर आया है। यह दर्शाता है कि एक कल्याणकारी सरकार अपने नागरिकों की पाई-पाई की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। जब एक आम आदमी के घर उसकी मेहनत की खोई हुई पूंजी वापस आती है, तो वह केवल धन नहीं, बल्कि आत्म-सम्मान और सुरक्षा लेकर आती है। यह अभियान वास्तव में 'अंत्योदय' (अंतिम व्यक्ति का उदय) के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपकी पूंजी केवल धन नहीं, बल्कि आपके कठिन परिश्रम का प्रतिफल है। इस अभियान के माध्यम से अपनी सोई हुई संपत्ति को जगाना न केवल आपका कानूनी अधिकार है, बल्कि आपके परिवार की वित्तीय स्थिरता के लिए एक आवश्यक कदम भी है। "आपकी पूंजी, आपका अधिकार" अभियान केवल भूली हुई या अदावी संपत्ति को वापस दिलाने की पहल नहीं है, बल्कि यह एक न्यायपूर्ण, पारदर्शी और जिम्मेदार समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें यह समझाता है कि प्रत्येक नागरिक की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहनी चाहिए और उसे उसका पूरा अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को उनकी खोई हुई संपत्ति वापस मिलती है, तो उनके मन में न केवल आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है, बल्कि शासन और व्यवस्था के प्रति विश्वास भी मजबूत होता है।

एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए हमारा भी महत्वपूर्ण कर्तव्य है। सबसे पहले, हमें अपने सभी वित्तीय दस्तावेजों और खातों को व्यवस्थित और अद्यतन रखना चाहिए। प्रत्येक बैंक खाते, बीमा पॉलिसी और निवेश में नामांकन अवश्य करना चाहिए, ताकि भविष्य में हमारे परिवार को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इसके साथ ही, हमें अपने परिवार के सदस्यों को भी इन जानकारियों से अवगत कराना चाहिए। दूसरा, हमें समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करना चाहिए। यदि हमें इस अभियान के बारे में जानकारी है, तो हमें अपने आस-पास के लोगों—विशेषकर ग्रामीण और कम जागरूक वर्ग—को इसके बारे में बताना चाहिए, ताकि वे भी अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें। तीसरा, हमें ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने चाहिए तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या धोखाधड़ी से बचना चाहिए। इस प्रकार, जब नागरिक जागरूक, जिम्मेदार और सक्रिय बनते हैं, तभी एक सच्चे अर्थ में न्यायपूर्ण और सशक्त समाज का निर्माण संभव हो पाता है।

प्रबंधक

आंचलिक कार्यालय, दिल्ली-11

बलांगीर (उड़ीसा) शाखा का शुभारंभ



श्री स्वरूप कुमार साहा (एमडी एवं सीईओ), श्री विनोद कुमार पांडेय (क्षेत्र महाप्रबंधक, मुंबई), श्रीमती रश्मिता कात्रा (महाप्रबंधक), श्री विनय खंडेलवाल (आंचलिक प्रबंधक, विजयवाड़ा) द्वारा शाखा का उद्घाटन किया गया।



PSB-Care Nest



“ The creche facility PSB- care nest at FGMO Chandigarh was inaugurated by Shri Swarup Kumar Saha(MD & CEO) in the esteemed presence of Sh. Vivek Srivastava, Regional Director, RBI Chandigarh. The ceremony witnessed enthusiastic participation from children. This a significant step towards strengthening employee welfare and fostering an inclusive, supportive work environment especially for working women. ”

अंतरराष्ट्रीय

बैंक द्वारा महिला कार्मिकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 08 मार्च, 2026 को बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय, पूर्वी किदवई दीपा मलिक ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में बैंक की संपूर्ण महिला क्लब के सदस्यों की उपस्थिति रही तथा इसके



महिला दिवस

नगर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश की प्रतिष्ठित पैरालंपियन पद्मश्री डॉ. अतिरिक्त महिला कार्मिकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।



हौसलों को उड़ान देती: सुपरवुमन

"अगर आप अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत में नहीं बदल सकते, तो आप कभी अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। आपकी बाधाएं आपके दिमाग में होती हैं, आपके शरीर में नहीं।"

हौसला वह ताकत होती है, जो व्यक्ति को उस समय खड़ा करती है जब पूरी दुनिया उसे गिराने में जुट जाती है।

देश के सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉ. दीपा मलिक की शिथिलता किसी प्रेरणास्रोत से कम नहीं। उनके जीवन का प्रत्येक पड़ाव हमें हर मोड़ पर गिरकर उठना सिखाता है। बेपरवाह होकर पंखों के टूटने के दर्द को महसूस किए बिना उड़ना और आसमान के चरम बिंदू पर पहुंचने की ज़रूरत करना ये काम केवल और केवल दीपा मलिक ही कर पाईं। ऐसा नहीं है कि उन्हें ईश्वर ने कुछ अलग चमत्कारी ताकतों से नवाज़ा हो, हां उनमें विशेष क्षमता ज़रूर है, और वो क्षमता है स्वयं से आत्मसात करने की, सामान्य को विशेष में बदलने की। उन्होंने जीवन में आए संघर्षों और शारीरिक अक्षमताओं को ठेंगा दिखाते हुए वो कर दिखाया जो सक्षम शरीर लेकर भी हम नहीं कर पाते। हमारे बैंक में 08 मार्च, 2026 को उनका आगमन किसी उत्सव से कम नहीं था। बैंक की समस्त महिला कार्मिकों ने उनके प्रेरणात्मक वक्तव्य के प्रत्येक अंश में उनके जीवन को जिया और प्रेरणा ग्रहण की। उनकी जीवन यात्रा अविस्मरणीय है जिसे सुनकर हम सभी अर्चिभित थे। बैंक में कार्य करते हुए हम सभी अपनी दैनिक निजी समस्याओं को इतना हावी कर लेते हैं कि जीवन में आगे बढ़ना भूल जाते हैं। लेकिन उस दिन उनका हर एक शब्द हम सभी में उत्साह भर रहा था। वे पैरालंपिक स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली उम्रदराज भारतीय महिला हैं। उनका जीवन दृढ़ संकल्प और साहस की कहानी है, उनकी कहानी इच्छाशक्ति की कहानी है, कि कैसे मानवीय भावनाएं विरोधियों से ऊपर उठने का प्रयास कर सकती हैं।



"राह में आएंगी मुश्किले हज़ार, तुम खुद पर यकीन रखना।
जो डटकर तूफानों में मुस्कुरा दें, वहीं असली योद्धा है।।"

उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में शारीरिक अक्षमता के संबंध में कहा कि मेरा जीवन हमेशा शारीरिक अक्षमता को क्षमता में बदलने के लिए प्रेरित करता रहा है। मेरी शारीरिक अक्षमता ने मेरे जीवन को ध्यानकेंद्रण और उद्देश्य दिया। एक बच्चे के रूप में इसका सामना करने के बाद और एक वयस्क के रूप में इसका सामना करने के बाद मुझे लगा कि शायद इसका कोई कारण है कि यह बार-बार मेरे पास लौटता रहा। जब मैं एक बच्चा थी, तो मुझे ट्यूमर हो गया और मैं तीन साल तक बिस्तर पर थी। लेकिन आखिरकार, मैंने फिर से चलना शुरू कर दिया। फिर 30 साल की उम्र में, ट्यूमर वापस आ गया, लेकिन इस बार दुर्भाग्य के अनुसार, मैं लकवाग्रस्त हो गई। दुःख की बात यह थी कि, मेरी बेटी को भी सिर में चोट लगी और उसका बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। अतः इसलिए, मैं इन सब से सहमत हो गई और सोचा कि शायद यह सर्वशक्तिमान का संकेत था कि मेरे पास रोने का नहीं बल्कि दुर्भाग्य से लड़ने का एक उद्देश्य है। दीपा मलिक का जन्म भारतीय सेना से जुड़े परिवार में हुआ, वे जन्म से ही लड़ाकू थीं। ट्यूमर



से पीड़ित होने पर उन्हें दर्द रहित मौत या लकवाग्रस्त जीवन के बीच विकल्प दिया गया था। लड़ाकू होने के नाते दीपा ने जीवन को चुना। उसने अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का फैसला किया और दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। दीपा ने अपनी स्थिति के बावजूद अपने सपनों का पीछा करने का फैसला किया। "मैं बैठ कर रो सकती थी, जब रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर के कारण छाती से नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। इसके बजाय मैंने अपने नए व्हीलचेयर बाध्य जीवन को अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया। जो बचा था उसे मैंने मजबूत बनाया। मैंने अपनी भुजाओं को मजबूत बनाया है।

उनकी प्रतिभा केवल राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों तक सीमित नहीं रही बल्कि लिमका बुक ऑफ वर्ल्ड के कई रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर सपनों को पंख दिए। जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी उन्होंने वो कर दिखाया। वह 2016 रियो पैरालंपिक में रजत पदक सहित 23 अंतरराष्ट्रीय पदकों के साथ भारत की सबसे प्रमुख पैरा-एथलीट बन गईं और कई पुरस्कार जीते। वह कहती हैं- **लोग आपको उसी नज़र से देखेंगे जैसा आप स्वयं को देखते हैं।** यह आपके आत्मविश्वास, आत्म-क्षमताओं, आपकी शिक्षा और आपके सपनों के निर्माण के बारे में अधिक है।

उनके वक्तव्य में उन्होंने बताया कि वे स्वयं को लगातार नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। वर्ष 2009 में उन्होंने स्पेशल बाइक की सवारी की जिसमें कई फिल्मी सितारे उनके साथ थे। दिव्यांगों के प्रति समाज की विचारधारा पर पुनः कुठाराघात करते हुए वर्ष 2008 में यमुना नदी में धारा के विपरीत 1 किलोमीटर तैरकर, यह साबित कर दिया कि दिव्यांगता व्यक्ति के शरीर में नहीं, उसकी मानसिकता में विराजती है। इसके अलावा वर्ष 2013 में उन्होंने सड़क मार्ग से विशेष

रूप से निर्मित वाहन द्वारा चेन्नई से दिल्ली तक 3,278 किमी की दूरी तय की। वर्ष 2011 में उन्होंने रेड डी हिमालय रैली में एक प्रतिभागी के रूप में लद्दाख में भारत की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क पर नौ दिनों में नौ ऊँचाई वाले दर्रों को पार किया था। लेह-लद्दाख की सबसे ऊँची मोटर योग्य सड़कों पर नौ दिनों में नौ ऊँचाई वाले दर्रों को पार करना किसी अचंभे से कम नहीं था। (दिव्यांग होने के बावजूद इस तरह की यात्रा करने वाली वे विश्व की पहली महिला बनी)।

45 साल की उम्र में, वह देश की पैरालंपिक गेम्स टीम की सबसे उम्रदराज सदस्य थीं। उन्होंने 36 साल की उम्र में खेलों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। रियो पैरालंपिक, 2016 में शॉट पुट में 4.61 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता। उनकी अगुवाई में टोक्यो पैरालंपिक, 2020 भारत के लिए अब तक के सभी पैरालंपिक में सबसे सफल पैरालंपिक रहा है, जिसमें भारत को कुल 19 पदक मिले। भारतीय पैरालंपिक समिति के प्रमुख के रूप में दीपा मलिक ने इस सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने आरंभ से ही शॉट पुट सीखने में दिलचस्पी दिखाई। शुरू में यह एक संघर्ष था, लेकिन बाद में भारतीय खेल प्राधिकरण और टारगेट ओलंपिक पोज़ियम स्कीम के तहत एक डॉक्टर, प्रशिक्षक, नर्स, फिजियो और सभी आवश्यक चीजों के साथ उनसे जुड़ते चले गए। उन्होंने अपना ट्रायल पास किया और 46 साल की उम्र में इतिहास रच दिया - वह शॉट पुट F53 श्रेणी में रजत पदक विजेता बन गईं।



हमारे समाज का नज़रिया शारीरिक अक्षमता, उसपर भी लड़की... को स्वाकार नहीं करता बल्कि उन्हें समाज पर बोझ समझा जाता है। इस पीढ़ा को उनके माता-पिता ने महसूस किया है, जब वे तीन वर्ष की आयु



में अक्षम हुई। हमारा समाज हमें हौसला देने के बजाए, ताने मारकर पीछे धकेलने पर ज्यादा विश्वास करता है। इस संबंध में वे अपने पिता के साथ बातचीत का एक वाक्या साझा करती हैं-

लोग हमें देखते थे, किसी पार्टी में हमारी शारीरिक भाषा (दीपा और उनके पति) को देखते थे और निर्णय लेते थे कि क्या हम अभी भी शादीशुदा हैं, या क्या प्यार अभी भी है, या केमिस्ट्री अभी भी कायम है। और मैं इसे अपने पिता के साथ साझा करती थी और कहती थी 'पिताजी, यह बहुत अजीब है। बजाय इसके कि लोग मेरी बहादुरी के बारे में बात करें वे इस शरीर की अक्षमता और मेरे उदास बने रहने की बात करते हैं - मैं अब भी हंसती हूँ, मैं अभी भी चुटकुले सुनाती हूँ और फिर भी लोग इस पर फैसले की तलाश में हैं। तब पिताजी ने कहा 'दीपा मैंने तुम्हारा क्या नाम रखा है? आपका क्या नाम है?' और



मैंने कहा दीपा... तो उन्होंने कहा 'वह प्रसिद्ध उद्धरण सुना है- कि अंधेरे को कोसने की अपेक्षा दीपक जलाना हमेशा बेहतर होता है। अंधेरे को कोस रही हो दीपा, दीपक बन जाओ। और आप विशेषाधिकार प्राप्त हैं। आपके पास शिक्षा है। आपका परिवार भी शिक्षित है। इसलिए यदि शिक्षित लोग आगे नहीं आएंगे और वह बदलाव नहीं लाएंगे जो, वे देखना चाहते हैं, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं?' मैं बस दो बेटियों की एक अच्छी मां बनने के लिए संघर्ष कर रही थी, ताकि मेरी बेटियां मुझे एक अपंग दुखी महिला के रूप में याद न रखें। फिर मुझे उस दिन एक बड़ा उद्देश्य मिल गया। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने शारीरिक अक्षमता को जीवन पर हावी नहीं होने दिया। मैंने वो सबकुछ किया जिसकी मैंने चाह रखी।

वे 24x7 ट्रेनिंग करती हैं। उनके जागने से लेकर सोने तक सब कुछ महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने मूत्राशय और मल त्याग का प्रबंधन करना होता है। उन्हें समय के अनुसार सावधानी से हल्के भोजन का सेवन करना पड़ता है। वे हर बार जब प्रशिक्षण लेती तो उसे ऐंठन से शरीर में राहत पाने के लिए लंबे समय तक फिजियोथेरेपी सत्र का पालन करना पड़ता है। मुझे विश्वास है कि उनके लिए यहां तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। लेकिन उनके अदम्य साहस भरे आत्मविश्वास ने चुनौतियों को चट्टान नहीं बनने दिया। वे सही मायने में सुपरवुमन हैं।

पांव थमे तो क्या, अभी मन की उड़ान बाकी है,
परिस्थितियां विपरीत सही, अभी जीतने की चाह बाकी है।
लिख दी है कहानी अपनी, बाधाओं को चीरकर मैंने,
दुनिया देखेगी मुड़कर, अभी नए इतिहास का निर्माण बाकी है।।

समीक्षा बैठक

“ आंचलिक कार्यालय पटना में श्री राजीवा (कार्यपालक निदेशक), श्री गोपाल कृष्ण (महाप्रबंधक) तथा श्री आशीष रंजन (आंचलिक प्रबंधक) की उपस्थिति में शाखा प्रबंधकों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। ”



CIRCULAR ISSUED FROM

Date	Circular No.	Subject
HO Accounts & Audit Department		
24/02/2026	1061/2025-26	Guidelines w.r.t. Perquisite valuation of leased accommodation for FY 2025-26
31/12/2025	897/2025-26	Closure of Trading Window
HO Credit Department		
27/02/2026	1081/2025-26	SOP for Enhanced Due Diligence in cases of Foreign Promoters Holding or Acquiring Equity Stakes in Indian Companies (Applicable to All Field Functionaries)
12/02/2026	1041/2025-26	Advisory on verification of previously Declined/Deferred status of proposals prior to sending Fresh Credit Proposals to Head Office
HO Credit Monitoring & Policy Department		
08/12/2025	795/2025-26	Policy on Valuation of Property/Assets Charged/Mortgaged or to be charged to the Bank as Primary and/or Collateral Security
HO KYC & AML Cell		
09/03/2026	1114/2025-26	SOP regarding FRI/MNRL Mobile number Screening-Customer Onboarding and Existing Accounts Scrubbing, Freezing and Unfreezing Mechanism
21/01/2026	1007/2025-26	Routing of account opening request through CASA back office solution
14/01/2026	1004/2025-26	Amendment to the master direction(MD) on KYC
01/01/2026	1109/2025-26	Advisory to field functionaries on Enhanced Due Diligence (EDD)
HO Foreign Exchange Department		
20/03/2026	1145/2025-26	Export and Import of Indian Currency to or from Nepal and Bhutan – Amendment in FEMA Regulations
11/03/2026	1118/2025-26	Mandatory Adoption Of Standardized Customer Request Letter For Outward Remittance Towards Import Of Goods & Services
06/03/2026	1091/2025-26	Interest Subvention for Pre and Post Shipment Export Credit under Export Promotion Mission - Niryat Prothsahan
16/02/2026	1038/2025-26	Advisory on Issuance of AD Code Letters
HO Fraud Monitoring Department		
25/02/2026	1063/2025-26	Fraud Lifecycle Management System (FLCMS)- Centralised Portal for Reporting, Monitoring and Managing Fraud Cases
31/01/2026	992/2025-26	धोखा-धड़ी के मामले/धोखा-धड़ी के लिए कए गए पर्यास/तृतीय-पक्ष इकाइयों का धोखाधड़ी में शामिल होना(जानकारी साझा करना)
HO General Administration Dept.		
26/02/2026	1068/2025-26	Furniture Fixture Statement And Rate Of Depreciation For The Year 2025-26
28/01/2026	982/2025-26	Circular Regarding "Guidelines For Hiring/Installation Of Generator
28/01/2026	517/2025-26	Guidelines For Electrical Audit In Bank Premises
HO Human Resources Development Department		
20/03/2026	1148/2025-26	Filling up of existing, anticipated and unforeseen vacancies upto 30.06.2026 for the post of Registrar, Assistant Registrar and Recovery Officer in DRATs and DRTs under Department of Financial Services, Ministry of Finance on Deputation basis
16/03/2026	1123/2025-26	Recruitment for the post of Senior Advisor (PS&BT)
12/03/2026	1133/2025-26	Transfer Policy for Officers - Clarifications
10/03/2026	1115/2025-26	Transfer Policy for Officers
07/03/2026	1074/2025-26	Comprehensive Mentorship Scheme of the Bank
03/3/2026	1083/2025-26	Dgm (hrd) authorized/empowered to act as disciplinary authority in disciplinary action cases (upto 07.01.26) Of scale i and ii officers employees transferred by zonal managers (erstwhile da) of dgm rank
17/02/2026	1043/2025-26	HOLIDAY HOMES AT HYDERABAD AND PURI
13/02/2026	1030/2025-26	Holiday Home(s) at Agra, Ayodhya, Jaisalmer, Rameswaram, Shillong and Trivandrum
07/02/2026	1016/2025-26	Dearness Allowance for the Months of February 2026, March 2026 and April 2026
06/02/2026	1009/2025-26	Emotional Well-being assessment for employees and extending support through Emotional Champions
03/02/2026	995/2025-26	HOLIDAY HOMES AT AJMER, GOA, JAIPUR, JODHPUR, LEH, SHIRDI, UDAIPUR AND VARANASI

01.01.2026 TO 31.03.2026

Date	Circular No.	Subject
31/01/2026	990/2025-26	Policy of Leased Accommodation provided by the Bank to the eligible Officers'
31/01/2026	989/2025-26	Guidelines pertaining to purchase of Mobile Phone(s)/ Ipad(s)/ Tablet(s)/ Laptop(s) and reimbursement of Mobile/ Landline/ Data Charges to Directors and eligible Officers of the Bank
31/01/2026	988/2025-26	Reimbursement of House Maintenance Expenses
08/01/2026	931/2025-26	Declaration of banking industry as "public utility service" under industrial disputes act, 194
HO Law & Recovery Department		
17/03/2026	1124/2025-26	Mandatory beneficial ownership disclosure in resolution plans under ibc
06/03/2026	1090/2025-26	Monitoring details of assets of the borrower/guarantor at the time of filing of recovery suit
HO Marketing & Insurance Division		
09/03/2026	1094/2025-26	SRM CLEARANCE DRIVE
03/03/2026	1084/2025-26	PSB DHURANDHAR 2.0
21/01/2026	975/2025-26	MISSION SANKALP - CORE FEE INCOME
19/01/2026	966/2025-26	PSB FLEXI BOOST For Acquisition of Flexi Recurring Deposit Accounts
HO Provident Fund Department		
13/02/2026	1034/2025-26	Dearness Relief Payable to Pensioners for the Period February 2026 to July 2026-Under Punjab and Sind Bank (Employees') Pension Regulations,1995
12/01/2026	943/2025-26	GST for IBA'S Group Medical Insurance Policy for Retired Employees/Surviving Spouse (01.11.2025 to 31.10.2026)
HO Planning & Development Department		
23/02/2026	1056/2025-26	PSB Privilege Savings Account & PSB Privilege Current Account
16/02/2026	1039/2025-26	Guidelines for Premature Closure of PSB Callable Bulk Deposit, Fixed deposit opened under PSB Motor Accident Claims & PSB Railway Accident Claims in Deceased and Exceptional Cases - Introduction of 'FDEXMP' Menu in Finacle X.
12/02/2026	1026/2025-26	Payment of Overdue Interest in PSB Tax Saver FDR
06/02/2026	1010/2025-26	Opening of New Branches
20/01/2026	971/2025-26	PSB SGPC Seva Salary Account
12/01/2026	939/2025-26	Opening of New Branches
HO Priority Sector Advances Department		
23/03/2026	149/2025-26	PSB ANTYODAYA YOJANA (DAY-NRLM)
17/03/2026	1131/2025-26	Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE): Modifications
12/03/2026	1122/2025-26	PSB agri clinic and agri business centres (acabc) scheme- revised guidelines
09/03/2026	1104/2025-26	Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Loan Applications- Compliance with RBI Prescribed Turnaround Time (TAT) and Reporting Mechanism
27/02/2026	1073/2025-26	PSB scheme for financing poultry farming (psb poultry)
09/02/2026	1021/2025-26	Advisory on Changing Classification of Loan/Limit accounts
01/01/2026	906/2025-26	Digital commercial vehicle scheme
01/01/2026	905/2025-26	Digital roof top solar scheme
HO Retail Lending Department		
13/03/2026	1121/2025-26	Advisory on Pradhan Mantri Vidyalaxmi Scheme
23/02/2026	1055/2025-26	Amendments in guidelines of PSB Mortgage Loan
02/02/2026	1013/2025-26	Advisory on dsa related matters
02/02/2026	994/2025-26	Overdraft against E-Deposit through PSB Unic.
HO General Operations Department		
19/03/2026	1132/2025-26	Standard Operating Procedure (SOP) for Digital Balance Confirmation Portal (DBCP)
26/02/2026	1072/2025-26	Advisory on documenting "Termination Notice", "Break Open Notice", "Date of Publication" & "Date of Auction" in CBS as per IBA norms regarding Model Safe Deposit Locker
16/02/2026	1049/2025-26	Advisory for transactions at non home branch in CC/OD account
19/01/2026	987/2025-26	Standard Operating Procedure (SOP) & User Manual for Individual & Non-Individual Account Opening via PSB CASA Back-Office Application

Mega Town Hall Meeting

|| An inspiring Mega Town Hall Meeting was organized in Chandigarh, bringing together more than 1,200 dedicated staff members from across Punjab region under theme of One Team, One Voice, One Vision. ||



Mega Town Hall Meeting



|| Shri Swarup Kumar Saha (MD & CEO) addressed the gathering with an insightful roadmap for the bank's future growth and transformation. He also announced various staff-centric benefits, reaffirming the bank's commitment to employee welfare and empowerment. ||

The Psychological Inner World of Your Children



Sunint Kaur

Child psychology in today's world is no longer limited to being an academic or educational subject. It has become an essential understanding for every parent, teacher, caregiver, and for society at large. It helps us understand how a child's mind is shaped, how emotions develop, why behavior changes, and how early life experiences influence an individual across the lifespan. Modern science has clearly established that the first five years of a child's life lay the foundation for their entire mental and emotional framework.

At birth, the human brain is only partially developed, yet during the early years it grows at an extraordinary pace, forming complex neural networks. This rapid development is deeply influenced by parental presence, environmental stability, a sense of safety, and emotional support. These factors do not merely affect a child temporarily; they leave lasting imprints on the child's psychological structure. This is why child psychology places such strong emphasis on early environments and emotional experiences.

Neuroscience tells us that by the age of five, nearly ninety percent of a child's brain development is complete. While genetics play a role, the brain's final shape and functioning are largely sculpted by lived experiences. These may include a parent's voice, the emotional atmosphere of the home, exposure to conflict or security, and experiences of love and belonging. Together, these elements create a lasting emotional memory system. For this reason, child psychology does not focus only on outward behavior; it seeks to understand the emotional experiences beneath it.

A common misconception about children's behavior is that it is merely a matter of discipline or misbehavior. Research shows that every behavior is an expression of an inner need, confusion, or emotional state. Young children often lack the language to describe their feelings, so emotions surface through behavior. Irritability, sudden crying, repetitive



questioning, hyperactivity, withdrawal, or silence are all forms of communication—messages a child is attempting to express without words.

Modern psychology describes this as limited emotional regulation. When children cannot identify what they are feeling, they are unable to manage it. Behavior then becomes the clearest window into their emotional world. Instead of asking, "Why is this child behaving this way?" child psychology encourages us to ask, "What is this behavior trying to communicate?"

The Role of the Child's Body: When Emotions Speak Through Physical Symptoms

An important dimension often overlooked in conversations around child psychology is the role of the body. Children do not experience emotions only in the mind; they experience them through their nervous systems and physical sensations. When a child lacks the language or emotional maturity to express distress, the body often becomes the messenger.

This is why many children present with recurring stomach aches, headaches, nausea, bedwetting, nail biting, teeth

grinding, frequent illnesses, or unexplained fatigue—despite normal medical reports. These symptoms are not imagined, nor are they intentional. They are somatic expressions of emotional overload. The child's body is responding to stress, fear, or insecurity in the only way it knows how.

From a psychological perspective, the nervous system plays a central role here. When a child feels unsafe—emotionally or environmentally—the body enters a state of alertness. If this alertness becomes chronic, it begins to affect digestion, sleep, immunity, and energy levels. Telling a child to “stop worrying” or “calm down” does little to regulate a nervous system that has not yet learned safety.

Movement, rhythm, play, touch, rest, and predictable routines help regulate a child's body far more effectively than verbal reasoning alone. This understanding reminds caregivers that emotional healing in children often begins not with explanation, but with regulation—helping the body feel safe enough for the mind to settle.

Developmental psychology further explains that children grow through distinct stages, each with its own capacities and limitations. According to Jean Piaget, children first understand the world through sensory experience, then imagination and language, and later through logical and abstract thinking. Expecting emotional maturity or rational discipline beyond a child's developmental stage creates unnecessary pressure. Understanding developmental readiness replaces unrealistic expectations with empathy and appropriate guidance.

Emotional safety forms the strongest pillar of healthy development. John Bowlby's Attachment Theory explains that children thrive when they experience deep emotional security with caregivers. This security does not come from material



comfort but from presence—the consistent message of “I am here, I see you, and you matter.”

Children raised with secure attachment tend to be confident, emotionally aware, and socially adaptable. They manage stress better and recover from challenges with resilience. In contrast, experiences of rejection, instability, or excessive criticism often leave children feeling unsafe internally, which later appears as anger, anxiety, withdrawal, or fear-based behavior.

Today's children face unprecedented challenges. While digital access has expanded learning opportunities, it has also exposed children to constant stimulation and noise. This sensory overload overwhelms the developing nervous system and affects attention, sleep, patience, and emotional balance. When children appear restless, irritable, or emotionally overwhelmed, it is often a sign of exhaustion rather than defiance.

Children experience stress much like adults do, even though they may lack the words to describe it. Academic pressure, comparison, competition, family tension, excessive screen exposure, and parental anxiety all place strain on a child's nervous system. Prolonged stress elevates cortisol levels, impairing learning, emotional regulation, and sleep. Over time, children may become either reactive or emotionally withdrawn.

The Impact of Academic Pressure and Early Achievement Culture

One of the most significant sources of stress in modern childhood is the growing emphasis on early achievement. Children are increasingly evaluated, labeled, and compared at very young ages—often before their emotional or neurological systems are ready for such pressure. Words like “bright,” “average,” or “weak” may seem harmless, but they quietly shape a child's self-perception.

When performance becomes central to worth, children begin to associate love and approval with achievement. Mistakes are no longer part of learning; they become threats to identity. This fear of failure can manifest as anxiety, avoidance, perfectionism, or emotional shutdown. In some children, it appears as resistance or lack of motivation—not because they do not care, but because the pressure feels overwhelming.

Child psychology emphasizes that learning thrives in safety, not fear. Curiosity, creativity, and resilience develop when children

are allowed to progress at their own pace. When achievement is valued over effort, children may succeed externally while struggling internally. Over time, this disconnect can lead to burnout even before adulthood.

Reframing education as exploration rather than evaluation protects not only a child's mental health, but their long-term relationship with learning itself.

Parents play a central role in shaping emotional development. Albert Bandura's Social Learning Theory explains that children learn largely through observation. When caregivers respond to stress with calm, communication, and regulation, children internalize these patterns. When emotional volatility dominates the home, children absorb that instability as normal.

This process is known as co-regulation. A child's nervous system aligns with the emotional state of caregivers. Calm environments foster security; chaotic ones generate anxiety. Children absorb emotional states long before they can understand words.

Cultural and social structures also influence a child's psychological world. In joint families, children are often exposed to diverse relationships and emotional dynamics, fostering adaptability. In nuclear families, emotional availability from parents becomes especially crucial. Modern urban life, long work hours, and digital distractions have reduced meaningful parent-child interaction, sometimes leading to emotional withdrawal.

Temperament vs Parenting: Why All Children Respond Differently

A crucial truth often misunderstood by parents is that children are not blank slates. Each child is born with a unique temperament—a biologically rooted style of responding to the world. Some children are naturally sensitive, some intense, some cautious, and others highly adaptable. Temperament influences how strongly a child reacts to stress, change, or stimulation.

This explains why two children raised in the same home may respond very differently to identical situations. Parenting shapes development, but it does not erase temperament. A sensitive child may feel deeply affected by experiences that barely register for another. This is not weakness; it is neurological wiring.



Understanding temperament helps parents move away from self-blame and comparison. It allows caregivers to respond to the child in front of them, rather than the child they expect. When parenting aligns with temperament, children feel understood rather than corrected. This alignment significantly reduces behavioral struggles and emotional friction.


Child psychology reminds us that effective parenting is not about uniform rules, but attuned responses.

Understanding the difference between discipline and punishment is essential. Discipline provides structure and guidance, while punishment relies on fear. Fear may produce short-term compliance, but it suppresses emotional understanding. Respectful discipline nurtures accountability, patience, and self-control. When mistakes are addressed calmly, children learn responsibility rather than shame.

Every child is neurologically and emotionally unique. Differences in learning styles, sensitivities, and responses make comparison deeply damaging. Comparing children with siblings or peers erodes self-worth and obscures individual strengths.

Emotional development is equally vital. Children who learn emotional vocabulary gain the ability to recognize and regulate internal states. Psychology affirms that emotions that can be named can be managed. Language bridges the gap between feeling and understanding.

Children also learn through stories and play. Storytelling nurtures imagination, moral understanding, and emotional processing. Play allows children to explore experiences safely and express emotions freely. This is why play therapy remains one of the most effective approaches in child mental health.



How Early Experiences Become Lifelong Emotional Patterns

One of the most profound insights of child psychology is that childhood does not remain confined to childhood. Early emotional experiences quietly shape how individuals perceive relationships, challenges, success, and self-worth throughout life. While the child grows into an adult, the nervous system continues to respond based on what it learned early on.

Repeated experiences of emotional safety teach the brain that the world is predictable and relationships are trustworthy. In contrast, environments marked by neglect or unpredictability train the nervous system for survival. These adaptations may later appear as anxiety, people-pleasing, fear of abandonment, or difficulty trusting others.

Parenting does not require perfection. Occasional mistakes are not harmful; unresolved emotional disconnection is. Repair—acknowledging mistakes and reconnecting—teaches children that relationships can heal. Awareness of one's own emotional triggers prevents the transfer of unresolved patterns.

Ultimately, raising emotionally healthy children is not about flawless conditions but about consistent emotional attunement. A child who feels emotionally understood grows into an adult who understands themselves. In this way, child psychology does not merely shape childhood—it shapes the emotional future of society itself.

SIDEBAR: WHAT CHILDREN OFTEN CONCLUDE SILENTLY

Children rarely say what they conclude about themselves — but they carry these beliefs quietly into adulthood.

When experiences are confusing, emotionally overwhelming, or left unexplained, children do not analyze circumstances

the way adults do. Instead, they personalize meaning. These conclusions are not spoken aloud, yet they shape identity, behavior, and emotional patterns.

Some of the most common silent conclusions children form are:

- ◆ “My feelings are too much.” (When emotions are dismissed, rushed, or minimized)
- ◆ “I shouldn’t need anyone.” (When comfort is inconsistent or unavailable)
- ◆ “I have to be good or successful to be loved.” (When appreciation follows performance, not presence)
- ◆ “Something is wrong with me.” (When comparison, criticism, or labels dominate)
- ◆ “It’s safer to stay quiet.” (When expression leads to conflict or disapproval)
- ◆ “I am responsible for others’ emotions.” (When children sense adult stress without explanation)

These beliefs are not formed through intention, but through repetition. Over time, they influence how a child handles relationships, boundaries, failure, and self-worth.

What reshapes these conclusions is not perfection, but emotional repair — moments where a child feels heard, reassured, and understood. When adults help children separate events from identity, children learn a different truth: *“I can feel deeply and still be safe.”*

-Clinical Therapist,
Nutritionist & Personality Strategist

समीक्षा बैठक



॥ आंचलिक कार्यालय बरेली द्वारा श्री अश्रि कुमार (महाप्रबंधक) एवं श्री किरण शंकर (आंचलिक प्रबंधक, बरेली) की उपस्थिति में शाखा प्रबंधकों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। ॥

एमएसएमई शिखर, देहरादून



॥ आंचलिक कार्यालय देहरादून द्वारा श्री मनोज कुमार (महाप्रबंधक) एवं श्री लालरेमथांग हमार (आंचलिक प्रबंधक, देहरादून) की उपस्थिति में एमएसएमई क्रेडिट अभियान का आयोजन किया गया। ॥

केवाईसी: सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम



दिलीप कुमार

आज के आधुनिक युग में बैंकिंग का स्वरूप पूर्णतः बदल चुका है। अब बैंकिंग केवल जन-धन जमा करने या निकासी तक सीमित नहीं बल्कि, हमारी पारंपरिक बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग की ओर स्थानांतरित हो चुकी है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी/आरटीजीएस और क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं ने बैंकिंग को आम जनता के जीवन का अभिन्न अंग बना दिया है। बैंकिंग पहले की तुलना में अधिक तेज, सरल और व्यापक हो गई है। आज बैंक एक ही छत के नीचे ग्राहकों को विविध सुविधाएं प्रदान करते हुए वित्तीय उत्पाद, म्यूचुअल फंड, बीमा और बचत बैंक योजनाएं उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन अभियान के माध्यम से ग्राहकों को बैंकिंग से जोड़ने के फायदों के प्रति शिक्षित किया जा रहा है। किंतु फिर भी सुविधा के साथ-साथ जोखिमों का दायरा बढ़ चुका है। जिनमें साइबर अपराध, पहचान की चोरी, फर्जी खाता, मनी लॉड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण आदि शामिल हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने केवाईसी को बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जो सुरक्षित बैंकिंग की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

केवाईसी का अर्थ एवं महत्व:

केवाईसी का अंग्रेजी अर्थ 'Know Your Customer' अर्थात "अपने ग्राहक को जानिए" है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों की पहचान और पते का सत्यापन करता है। यह सत्यापन विभिन्न माध्यमों यथा धन्यवाद पत्र या भौतिक दौरा आदि के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया में ग्राहकों से संबंधित विभिन्न पहचान दस्तावेजों की मांग की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ग्राहकों को केवाईसी हेतु निम्न मुख्य आधिकारिक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है-

1. आधार कार्ड
2. पासपोर्ट
3. मतदाता पहचान पत्र
4. ड्राइविंग लाइसेंस
5. नरेगा जॉब कार्ड
6. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र

केवाईसी का उद्देश्य केवल खाता खोलने में इन दस्तावेजों का प्रयोग करना नहीं है, बल्कि यह समय-समय पर ग्राहकों के लेन-देन की निगरानी के लिए भी आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध या अवैध गतिविधि को समय के भीतर ज्ञात किया जा सके और किसी भी संदिग्ध घटना को घटित होने से रोका जा सके।

केवाईसी की आवश्यकता तथा बैंकों में केवाईसी प्रक्रिया के मुख्य चरण:

जिस प्रकार स्वस्थ शरीर में पांच संवेगी अंगों का होना अनिवार्य है उसी प्रकार एक स्वस्थ बैंकिंग के लिए केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापित होना अनिवार्य है। केवाईसी के जरिए पहचान की चोरी और फर्जी खातों से होने वाली धोखाधड़ी के जोखिम को कम किया जाता है। पंजीकृत निवेश मध्यस्थों में एकरूपता तथा निरंतरता लाने के लिए एक समान केवाईसी प्रक्रिया की घोषणा की गई थी। इससे न केवल ग्राहकों के लिए केवाईसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करना आसान हुआ, बल्कि पोर्टफोलियो प्रबंधकों, म्यूचुअल फंड कंपनियों, वेंचर कैपिटल फंडों और स्टॉक ब्रोकरों को दस्तावेजों की पुनरावृत्ति रोकने में भी मदद मिली।

1. वित्तीय अपराधों पर नियंत्रण

केवाईसी का प्राथमिक उद्देश्य धन शोधन को रोकना है। अपराधी

अक्सर अवैध धन को वैध बनाने के लिए गुमनाम खातों का उपयोग करते हैं। केवाईसी प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक लेनदेन एक सत्यापित व्यक्ति से जुड़ा है, जिससे काले धन के प्रवाह पर रोक लगती है।

2. आतंकवाद का वित्तपोषण को रोकना

अवैध गतिविधियों और आतंकवाद को मिलने वाली आर्थिक मदद को रोकने के लिए केवाईसी एक सशक्त हथियार है। पहचान के तथ्यात्मक प्रमाण होने से संदिग्ध लेनदेन की निगरानी करना और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले वित्तीय स्रोतों को ज्ञात करना आसान हो जाता है।

3. पहचान की चोरी से सुरक्षा

आज के डिजिटल युग में किसी अन्य के नाम पर फर्जी खाता खोलकर धोखाधड़ी करना आसान हो गया है। एआई जैसे टूल ने इन्हें और अधिक आसान बना भी दिया है। केवाईसी प्रक्रिया (जैसे बायोमेट्रिक्स या आधार सत्यापन) यह सुनिश्चित करती है कि कोई अन्य व्यक्ति आपके नाम या दस्तावेजों का दुरुपयोग न कर सके।

4. जोखिम प्रबंधन

वित्तीय संस्थानों के लिए अपने ग्राहकों के 'जोखिम प्रोफाइल' को समझना जरूरी होता है। केवाईसी के माध्यम से बैंक को यह ज्ञात हो पाता है कि ग्राहक की आय का स्रोत क्या है? और वह किस प्रकार के लेनदेन करता है। इससे बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता आती है और भविष्य के जोखिमों का आकलन करना सरल हो जाता है।

5. कानूनी अनुपालन

'धन शोधन निवारण अधिनियम' (2002) के तहत सभी वित्तीय संस्थाओं के लिए केवाईसी नियमों का पालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यदि कोई बैंक या संस्था इसे नज़र अंदाज करती है, तो उन पर भारी जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है।

केवाईसी प्रक्रिया चार स्तंभों पर आधारित है-

◆ **ग्राहक स्वीकार्यता नीति-** यह पहला स्तंभ है जिसमें बैंक यह निर्धारित करता है कि वह किस प्रकार के ग्राहकों के खाते खोलेगा।

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक की पहचान किसी प्रतिबंधित या आपराधिक सूची से मेल न खाती हो। इसके अतिरिक्त यह भी जांच की जाती है कि खाता किसी अज्ञात या काल्पनिक नाम से न खुले।

◆ **ग्राहक पहचान प्रक्रिया-** यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है जहां ग्राहक की वास्तविकता की जाँच की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्य दस्तावेजों के आधार पर ग्राहक की पहचान को सत्यापित किया जाना होता है। जिसमें पहचान(आधार, पेन आदि) एवं पते(बिजली, पानी आदि बिल) का सत्यापन शामिल है। इसमें 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों' का उपयोग किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राहक वही है जो वह होने का दावा कर रहा है।

◆ **लेन-देन की निगरानी-** खाता खुलने के बाद भी बैंक का दायित्व समाप्त नहीं होती। बैंक ग्राहक के खातों में होने वाले लेनदेन पर निगरानी रखता है। यदि किसी खाते में अचानक बहुत बड़ी राशि आती है या असामान्य पैटर्न दिखता है, तो बैंक उसकी जाँच करता है। खातों में होने वाले लेन-देन पर निगरानी रखना आवश्यक है ताकि धनशोधन जैसी गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जा सके।

◆ **जोखिम प्रबंधन-** यह केवाईसी प्रक्रिया का अंतिम यथा महत्वपूर्ण स्तंभ है। जिसके माध्यम से बैंक द्वारा ग्राहक की प्रोफाइल के आधार पर समय-समय पर उसका केवाईसी अद्यतित किया जाता है तथा ग्राहकों को उनके लेन-देन एवं प्रोफाइल के आधार पर जोखिम श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इन जोखिम श्रेणियों के अनुरूप ग्राहकों के लेन-देन पर नज़र रखी जाती है।

- कम जोखिम: वेतनभोगी कर्मचारी या छोटे व्यापारी।
- मध्यम जोखिम: गैस डीलर, रियल एस्टेट एजेंट आदि।
- उच्च जोखिम: ट्रस्ट, चैरिटी संस्थाएं या राजनीति से जुड़े व्यक्ति।

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत केवाईसी की भूमिका

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति जैसे- ग्रामीण नागरिकों, मज़दूर वर्ग, लघु किसान तथा असंगठित क्षेत्रों में

कामगारों को बैंकिंग से जोड़ना है। वित्तीय समावेशन का अर्थ है समाज के पिछड़े और कम आय वाले वर्गों को सस्ती दरों पर बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में केवाईसी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में आरंभ की गई जनधन योजना ने इस दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया है। आधार कार्ड के माध्यम से ई-केवाईसी ने वित्तीय समावेशन की गति को कई गुना बढ़ा दिया है। अब केवल अंगूठे के निशान या ओटीपी से खाता खुल जाता है। बैंकों के लिए दूरदराज के इलाकों में ग्राहक बनाना सस्ता हो गया है, जिससे वे गांवों तक पहुँच पा रहे हैं। केवाईसी सत्यापित खातों के कारण ही सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए सब्सिडी, पेंशन और मनरेगा की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेज पा रही है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी।

केवाईसी के माध्यम से छोटे व्यापारियों और किसानों की पहचान और साख का पता लगाना आसान हो गया है। सत्यापित पहचान होने के कारण बैंक अब बिना किसी बड़ी गारंटी के भी मुद्रा योजना जैसे छोटे ऋण देने में सक्षम हैं। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य केवल खाता खोलना नहीं, बल्कि लोगों का बैंकिंग प्रणाली में विश्वास जगाना भी है। केवाईसी यह सुनिश्चित करता है कि गरीब व्यक्ति की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे और उसके नाम का कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। केवाईसी वित्तीय समावेशन की 'चाबी' है। इसने बैंकिंग सेवाओं को 'विशेषाधिकार' से बदलकर एक 'अधिकार' बना दिया है, जिससे देश के अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय सेवाएं पहुँच रही हैं।

सुरक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय मानक

वर्तमान में बैंकिंग प्रणाली देश की आर्थिक और आंतरिक सुरक्षा से प्रत्यक्ष रूप में जुड़ी हुई है। धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए केवाईसी एक प्रभावी सुरक्षा कवच है। धनशोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण पर रोक लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1989 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय तंत्र को पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाना है। यह एक अंतर-सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का वित्तपोषण से निपटने के लिए मानक तय करता है। इसकी सिफारिशों में केवाईसी के लिए 'ग्राहक देय तत्परता' सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया के अधिकांश देश (भारत सहित) इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। वैश्विक मानक यह अनिवार्य करते हैं कि बैंक केवल खाते के नाममात्र मालिक

को न जानें, बल्कि उस 'वास्तविक मालिक' की पहचान करें जो पर्दे के पीछे से खाते या कंपनी को नियंत्रित कर रहा है। यह शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) के जरिए होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जरूरी है। इसी अनुक्रम में भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 निर्मित किया गया। यह अधिनियम 1 जुलाई 2005 से प्रभावी हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य अवैध स्रोतों से अर्जित संपत्ति को जब्त करना और अपराधियों को दंडित करना है। इसके नियमों के अंतर्गत बैंकों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों के लिए अपने ग्राहकों का केवाईसी करना और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट वित्तीय खुफिया इकाई को देना अनिवार्य है। नियमों का पालन न करने पर वित्तीय संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

तकनीकीकरण के साथ-साथ केवाईसी की प्रक्रिया का भी डिजिटलीकरण हुआ है। केवाईसी का डिजिटलीकरण आधुनिक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। इसने लंबी कागजी प्रक्रियाओं को खत्म कर घर बैठे बैंकिंग को संभव बनाया है। ओटीपी तथा बायोमैट्रिक आधारित ई-केवाईसी तथा वीडियो केवाईसी द्वारा समय और लागत दोनों की बचत होती है। डिजिटल बैंकिंग के विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में केवाईसी एक मार्गदर्शक दीपक की तरह कार्य कर रहा है।

खातों को सुरक्षित रखने के लिए समय-समय पर ग्राहकों का केवाईसी अद्यतित करना आवश्यक हो जाता है। प्रायः यह देखा गया है कि ग्राहक खाता खोलने के पश्चात स्थान परिवर्तन, मोबाइल नंबर में बदलाव या किसी भी अन्य जानकारी में संशोधन की सूचना बैंक को नहीं देते जिससे, धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है। केवाईसी अद्यतन धोखाधड़ी की संभावना को कम करने के साथ ही जोखिम को भी न्यून करता है।

अतः केवाईसी केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि सुरक्षित, पारदर्शी और उत्तदायी बैंकिंग व्यवस्था की आधारशिला है। यह प्रत्येक ग्राहक और बैंककर्मी का उत्तरदायित्व है कि वे केवाईसी मानकों का पूर्णतः अनुपालन करें ताकि सुदृढ़ एवं सुरक्षित बैंकिंग तंत्र का निर्माण हो सके। केवाईसी- सुरक्षित बैंकिंग की ओर बढ़ते कदम केवल एक कथन नहीं बल्कि एक संदेश है जो हमें उत्तरदायी एवं सुरक्षित वित्तीय व्यवहारी की दिशा में अग्रसर करता है।

वरिष्ठ प्रबंधक
प्रका विपणन एवं बीमा विभाग

VICTORY



On the occasion of PSB Ao Khele, Women's Cricket league was organised by our Bank. Team from Head office, Rajendra place and Corporate Office, East Kidwai Nagar played the final match and team from Head Office get triumph over the trophy.

Beyond Transaction The Modern Banker



Pankaj Kumar

BANKING AT THE CROSSROADS OF TECHNOLOGY AND TRUST

India's banking system stands at a critical juncture. Over the past decade, the sector has witnessed unprecedented digital transformation. Unified Payments Interface (UPI), mobile banking applications, Aadhaar-based authentication, and real-time settlement systems have revolutionized the way financial services are delivered. What once required physical presence at a branch is now possible through a Smartphone within seconds.

While this technological leap has enhanced convenience, inclusion, and efficiency, it has also introduced a new dimension of risk. Cyber fraud, digital impersonation, phishing attacks, and identity theft have emerged as systemic challenges. The very tools designed to empower customers are being exploited by criminals who thrive on anonymity and speed.

In this evolving environment, the role of the banker has fundamentally changed. ***The banker today is no longer merely a custodian of money or facilitator of transactions. The modern banker has become a financial guardian, digital educator, risk manager, and protector of public trust.***

DIGITAL BANKING REVOLUTION: A DOUBLE-EDGED SWORD

Digital banking has brought extraordinary benefits. It has reduced transaction costs, expanded access to financial services in remote areas, and accelerated economic activity. Government initiatives such as Jan Dhan Yojana, Direct Benefit Transfer (DBT), and Digital India have further strengthened financial inclusion.

Millions of first-time users have entered the formal banking system. Small merchants accept QR-based payments. Farmers



receive subsidies directly into their accounts. Pensioners withdraw funds through ATMs. These developments represent a remarkable achievement. However, alongside this progress, digital crime has grown in scale and sophistication.

FRAUDSTERS TODAY OPERATE THROUGH:

- ◆ Phishing emails and SMS links
- ◆ Fake customer-care calls
- ◆ Remote access applications
- ◆ SIM swapping and device cloning
- ◆ Social engineering techniques
- ◆ AI-generated voice impersonation
- ◆ Fake investment platforms and crypto scams

What makes digital fraud particularly dangerous is that it often occurs without physical interaction. A victim may lose life savings within minutes, without even realizing what has happened.

Alarmingly, fraud is no longer confined to digitally illiterate populations. Professionals, entrepreneurs, and even banking personnel have fallen victim to cleverly engineered scams.

In most cases, the root cause is not technological failure but human vulnerability — fear, urgency, trust, or greed being exploited.

Customer Awareness: The New Banking Priority

Traditionally, banking performance was measured through deposits mobilized, loans sanctioned, or profits generated. **In today's environment, a new parameter has emerged — customer awareness.** "An informed customer is the strongest defense against digital fraud."

Banks must therefore move beyond transactional engagement and embrace educational responsibility. Every interaction with a customer should carry an element of digital literacy. Customers must be repeatedly reminded:

- ◆ Banks never ask for OTP, PIN, CVV, or passwords
- ◆ UPI "collect requests" are payment approvals, not receipts
- ◆ Unknown links and apps are potential traps
- ◆ Rewards and threats are common fraud tactics
- ◆ Suspicious activity must be reported immediately

Frontline staff play a critical role here. A few minutes of guidance today can prevent years of financial distress tomorrow.

BANKER AS FINANCIAL MENTOR:-

Financial inclusion has brought millions of new customers into the banking system. Many of them are unfamiliar with digital products, formal credit structures, or financial planning. In this context, the banker's role extends beyond service delivery to financial mentorship.

Bankers must help customers understand:

- ◆ Responsible borrowing
- ◆ Importance of credit discipline
- ◆ Savings and investment options
- ◆ Insurance and risk coverage
- ◆ Retirement planning
- ◆ Digital safety practices

This mentoring relationship builds trust and strengthens the banking ecosystem. Customers who feel supported are less likely to fall prey to fraud and more likely to engage responsibly with financial products.



A banker who educates creates not just a customer, but a financially empowered citizen.

EVOLVING NATURE OF CREDIT RISK

Digital transformation has also altered credit risk dynamics. Instant loans, app-based lending, and data-driven credit scoring have accelerated loan processing, but they have also introduced new vulnerabilities.

Cases of identity misuse, fabricated income details, and multiple borrowing through different platforms have increased.

Bankers must therefore adopt a balanced approach — leveraging digital tools while maintaining traditional credit prudence.

Physical verification, local market understanding, borrower interaction, and post-disbursement monitoring remain indispensable. Credit quality cannot be sacrificed for speed.

EMOTIONAL IMPACT OF DIGITAL FRAUD

Beyond financial loss, digital fraud leaves deep emotional scars. Victims experience anxiety, shame, and loss of confidence in the system. Elderly customers often become fearful of using banking services altogether.

Bankers must approach such cases with empathy and sensitivity.

Prompt assistance, clear guidance, and reassurance can help restore confidence. Compassion is as important as procedure.



ETHICS AND TRUST: THE FOUNDATION OF BANKING

At its core, banking is a trust-based profession. Customers entrust bankers with their life savings, dreams, and security. This trust cannot be quantified in balance sheets, yet it forms the backbone of the financial system.

In the digital era, preserving this trust requires:

- ◆ Transparency
- ◆ Accountability

- ◆ Customer-centric policies
- ◆ Ethical conduct
- ◆ Continuous engagement


A single unresolved fraud case can damage years of relationship-building. The future banker is not merely a service provider or financial intermediary. The banker is a guardian of public confidence, educator of digital citizens, and defender of financial integrity. Success in modern banking will not be measured only by profitability, but by how effectively institutions protect customers and uphold trust.

As we embrace innovation, we must not forget our foundational responsibility.

Let us remember: Technology enables banking, but awareness protects it. Only through vigilance, education, and collaboration we build a secure, inclusive, and resilient digital financial ecosystem.

-Senior Manager
Dhaura Tanda
ZO Bareilly

**Ma'am, Boss has asked you
to deliver a lecture on
"WORK-LIFE BALANCE"
late tonight...!**



Pradip Roy
Retired Chief Manager
Punjab & Sind Bank

© 2024

गणतंत्र दिवस

बैंक द्वारा स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, रोहिणी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया अन्य उच्चाधिकारीगण और बैंक के अन्य स्टाफ एवं उनके परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर



का आयोजन

गया जिसमें बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक सहित पर एसटीसी, रोहिणी में ध्वजारोहण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।



ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਉਪਕਰਮ)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

Where service is a way of life

YOUR SALARY. OUR SERVICE.
ZERO HASSLE. MAXIMUM BENEFIT.

PSB Salary Plus- New Udaan

Accidental/ Permanent
disability cover up to

₹ 1 Cr*

Waiver on
locker charges up to 100%*
OD facility
up to 2 months' net salary

ATM withdrawal limit up to
₹ 40,000/day
Daily POS
₹ 1,50,000/day

Free child education benefit under
PA cover up to

₹ 24 lakh*

*T&C apply



Toll Free Number

1800 419 8300

Follow us @psbindofficial

